संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2558796, 2675337
Email:- neeleshdubey@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्र./शा-14/स्व.भा.मि./2017/ 18961 **भोपाल, दिनांक 28/07/2017**

प्रति,

1. आयुक्त,
   नगर पालिक निगम (समस्त)
   मध्यप्रदेश ।

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर परिषद (समस्त)
   मध्यप्रदेश।

विषय: खुले में शौच मुक्त शहर की संवहनीयता सुनिश्चित करने हेतु मार्गदर्शिका ।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) शासन की फ्लैगशिप योजना है, जिसका प्रमुख घटक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर खुले में शौच से शहरों को मुक्त करना है। परन्तु यह 'खुले में शौच से मुक्त' का विषय अधोसरंचना की तुलना में व्यवहार परिवर्तन का विषय है। खुले में शौच करने वाले नागरिकों को शौचालय के उपयोग हेतु प्रेरित करना एक सुव्यवस्थित रणनीति है, जिसमे नगर के सभी सम्बद्ध पक्षों को जोड़कर इस सामाजिक बुराई को दूर करने हेतु अभियान चलाना है।

प्रदेश के कुल 378 नगरीय निकायों में से अधिकांश निकाय QCI द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से 'खुले में शौच मुक्त' (Open Defecation Free-ODF) घोषित किये जा चुके हैं। जल्द ही प्रदेश के सभी निकायों के ODF हो जाने की सम्भावना है। किसी भी निकाय को 'खुले में शौच मुक्त' (ODF) घोषित करने के 6 माह पश्चात QCI द्वारा निकाय की 'खुले में शौच मुक्त' (ODF) स्थिति की संवहनीयता (Sustainability) सुनिश्चित करने हेतु पुनः परीक्षण के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

सभी नगरीय निकायों को अपने निकाय की 'खुले में शौच मुक्त' (ODF) स्थिति को बनाये रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के विषय विशेषज्ञों द्वारा एक विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार की गई है, जो सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। मार्गदर्शिका में उपलब्ध सूचना के आलोक में अपने निकाय की 'खुले में शौच मुक्त' स्थिति की संवहनीयता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार ।

(डॉ. मंजू शर्मा)
अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2558796, 2675337
Email:- neeleshdubey@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

पृ.क्र./शा-14/स्व.भा.मि./2017/ 18962 भोपाल, दिनांक 28/07/2017

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
2. समस्त अधीक्षण/कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश।

अपर आयुक्त ,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल

खुले में शौच मुक्त शहर की संवहनीयता हेतु दिशा निर्देश

जुलाई - 2017

स्वच्छ भारत मिशन(शहरी)

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

विषय सूचीः

- परिचय – स्वच्छ भारत मिशन(शहरी)
- 'खुले में शौच' (ओपन डेफिकेशन) की पृष्ठभूमि
- खुले में शौच के दुष्प्रभाव
- खुले में शौच के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव
- "खुले में शौच से मुक्त" (ओ.डी. एफ) की अवधारणा
- मध्य प्रदेश में ओ.डी.एफ. की वर्तमान स्थिति
- खुले में शौच से मुक्ति के लिए सतत् रणनीति की आवश्यकता क्यों
- खुले में शौच से मुक्त बनाने व उसकी संवहनीयता बनाये रखने हेतु निकाय स्तर पर प्रस्तावित गतिविधियाँ
- सहभागी निगरानी व स्वच्छता व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन हेतु प्रस्तावित गतिविधियाँ
- अनुश्रवण, निगरानी, रिपोर्टिंग प्रक्रिया
- प्रपत्र – संलग्नक

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) शासन की फ्लैगशिप योजना है, जिसका प्रमुख घटक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर खुले में शौच से शहरों को मुक्त करना है। परन्तु यह "खुले में शौच से मुक्त" का विषय अधोसंरचना की तुलना में व्यवहार परिवर्तन का विषय है। खुले में शौच करने वाले नागरिकों को शौचालय के उपयोग हेतु प्रेरित करना एक सुव्यवस्थित रणनीति है, जिसमे नगर के सभी संबद्ध पक्षों को जोड़ कर इस सामाजिक बुराई को दूर करने हेतु अभियान चलाना है।

सामान्यत: देखा गया है कि शहर खुले में शौच से मुक्त घोषित होने के पश्चात पुन: खुले में शौच की समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। अत: सतत् निगरानी एवं पर्यवेक्षण की प्रक्रिया स्थापित करने के उद्देश्य से विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किये गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के उद्देश्य:

- ✓ खुले में शौच की स्थिति की समाप्ति
- ✓ मैला ढ़ोने की प्रथा का उन्मूलन
- ✓ ठोस व अवशिष्ट के प्रबंधन के लिए आधुनिक व वैज्ञानिक उपाय
- ✓ स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के उचित व्यवहारों को व्यवहार में लाने के प्रयास
- ✓ स्वच्छता व स्वास्थ्य के आपसी सहसंबंध पर जागरूकता
- ✓ नगरीय निकायों का क्षमता वर्धन
- ✓ निवेश व क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन

'खुले में शौच' (ओपन डेफिकेशन) की पृष्ठभूमि:

व्यक्ति जब शौच व दैनिक नित्य-क्रिया के लिए शौचालय का इस्तेमाल न करते हुए बाहर खुले मैदानों में, झाड़ियों में, जंगलों में, रेल की पटरियों के किनारे व प्राकृतिक जल स्त्रोतों के नजदीक जाता है, तब उसके इसी व्यवहार को "ओपन डेफिकेशन" कहा जाता है। "ओपन डेफिकेशन" अंग्रेजी से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है "खुले में शौच या मलत्याग करना"। भारत में यह समस्या हमेशा से इतनी विकराल रही है कि दुनिया भर में भारत को खुले में शौच करने वाली सबसे बड़ी आबादी का घर कहा जाता है। विश्व की कुल शहरी आबादी का सिर्फ 11 प्रतिशत ही भारतीय शहरों में रहता है, परन्तु विश्व स्तर पर खुले में शौच करने वाली कुल आबादी का 47 प्रतिशत इसी भारतीय शहरी जनसँख्या से आता है। खुले में शौच को जन स्वास्थ्य के लिए एक व्यापक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

खुले में शौच के दुष्प्रभाव:

भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में घरों में व सामुदायिक स्तर पर शौचालय के आभाव में परिवार की महिलाओं व पुरुषों को बाहर खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है जो विशेषकर वृद्ध व दिव्यांगों के लिए असुविधा का वृहद कारण है। खुले में शौच की समस्या महिलाओं के स्वास्थ्य और निजता पर विपरीत असर डालती है। यह स्थिति महिलाओं की निजता व स्वास्थ्य के लिए न सिर्फ विपरीत है बल्कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से भी एक गंभीर समस्या है।

खुले में शौच के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:

दुनिया में सर्वाधिक लोग दूषित जल से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में प्रतिवर्ष करीब 6 करोड़[1] बच्चों की मौत हो जाती है। जिसमे से हमारे देश में प्रति वर्ष करीब सवा लाख बच्चों (01 से 05 वर्ष)[2] की दस्त (डायरिया) के कारण मौत हो जाती है, और इसकी प्रमुख वजह प्रदूषित पेयजल और गंदगी ही है। अनुमान है कि विकासशील देशों में होने वाली 80 प्रतिशत बीमारियां और एक तिहाई मौतों के लिए प्रदूषित पेयजल का सेवन ही जिम्मेदार है। प्रत्येक व्यक्ति के रचनात्मक कार्यों में लगने वाले समय का लगभग दसवां हिस्सा जल–जनित रोगों की भेंट चढ़ जाता है। यही वजह है कि विकासशील देशों में इन बीमारियों के नियंत्रण और अपनी रचनात्मक शक्ति को बरकरार रखने के लिए साफ–सफाई, स्वास्थ्य और पीने के साफ पानी की आपूर्ति पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है। निश्चित तौर पर साफ पानी लोगों के स्वास्थ्य और रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। कहा भी गया है कि सुरक्षित पेयजल की सुनिश्चितता जल जनित रोगों के नियंत्रण और रोकथाम की कुंजी है।

भारत में खुले में शौच पेयजल के प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से नवजात बच्चों में कुपोषण तथा उनकी वृद्धि में अवरोध की समस्या होती है। दूषित जल व साफ–सफाई का आभाव विशेषकर पांच वर्ष तक कि उम्र के बच्चों में दस्त (डायरिया) जैसी जानलेवा बीमारियों कि न सिर्फ एक प्रमुख वजह है, अपितु बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के कुल मामलों में से 50 प्रतिशत मामलों में सीधे तौर पर जिम्मेदार है। भारत में डायरिया शिशु मृत्यु दर का तीसरा प्रमुख कारक है व प्रतिवर्ष लगभग 13 प्रतिशत[3] बच्चों की मृत्यु डायरिया सम्बंधित कारणों से हो जाती है।

विश्व भर में प्रति वर्ष 0 से 05 वर्ष की आयु में लगभग 2.5 बिलियन[4] डायरिया के मामले रिकॉर्ड किये जाते हैं, जो कि बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण, शारीरिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव (Stunting) व मृत्यु के प्रमुख घटक साबित होते है। हमारे देश में पांच वर्ष से कम उम्र के लगभग 48 प्रतिशत बच्चे[5] शारीरिक वृद्धि पर

विपरीत प्रभाव (Stunting) जैसी समस्याओं से प्रभावित हैं, और पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश में इस समस्या का प्रतिशत देश में सर्वाधिक (लगभग 50 प्रतिशत[6]) रहा है।

"खुले में शौच से मुक्त" (ओ.डी. एफ) की अवधारणा:

अत: उक्त स्वास्थ्य, कुपोषण आदि समस्याओं से बचाव व रोक–थाम के लिए आवश्यक है कि वातावरण को खुले में शौच से पूर्णतय: मुक्त बनाया जाए व प्रत्येक स्तर पर इसकी संवहनीयता सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाए। खुले में शौच से मुक्ति का अर्थ है कि सामुदायिक, पारिवारिक वातावरण में किसी भी प्रकार से मानव मल का प्रवेश न होने पाए। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक परिवार अथवा सामुदायिक स्तर पर शौचालय का निर्माण किया जाए व परिवार। समुदाय के हर सदस्य द्वारा सदैव इसका उपयोग किया जाए। साथ ही इस स्थिति को प्राप्त करने व इसे बनाये रखने कि दिशा में ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि परिवार/समुदाय में बच्चों के मल का निष्पादन भी सही प्रकार से किया जाए व उसके पश्चात विशेषकर घर की महिलाओं द्वारा भोजन पकाने, परोसने, बच्चों को स्तनपान आदि के पूर्व अपने हाथों को सही प्रकार से पानी व साबुन से धोया जाए ।

[1] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/

[2] https://data.unicef.org/topic/child-health/diarrhoeal-disease/

[3] http://7pointplan.org/global-burden-childhood-diarrhoea.html

[4] http://unicef.in/Whatwedo/10/Stunting

[5] http://unicef.in/Whatwedo/10/Stunting

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4367049/

मल–मुख संक्रमण मार्ग (Faeco - Oral Contamination Route)

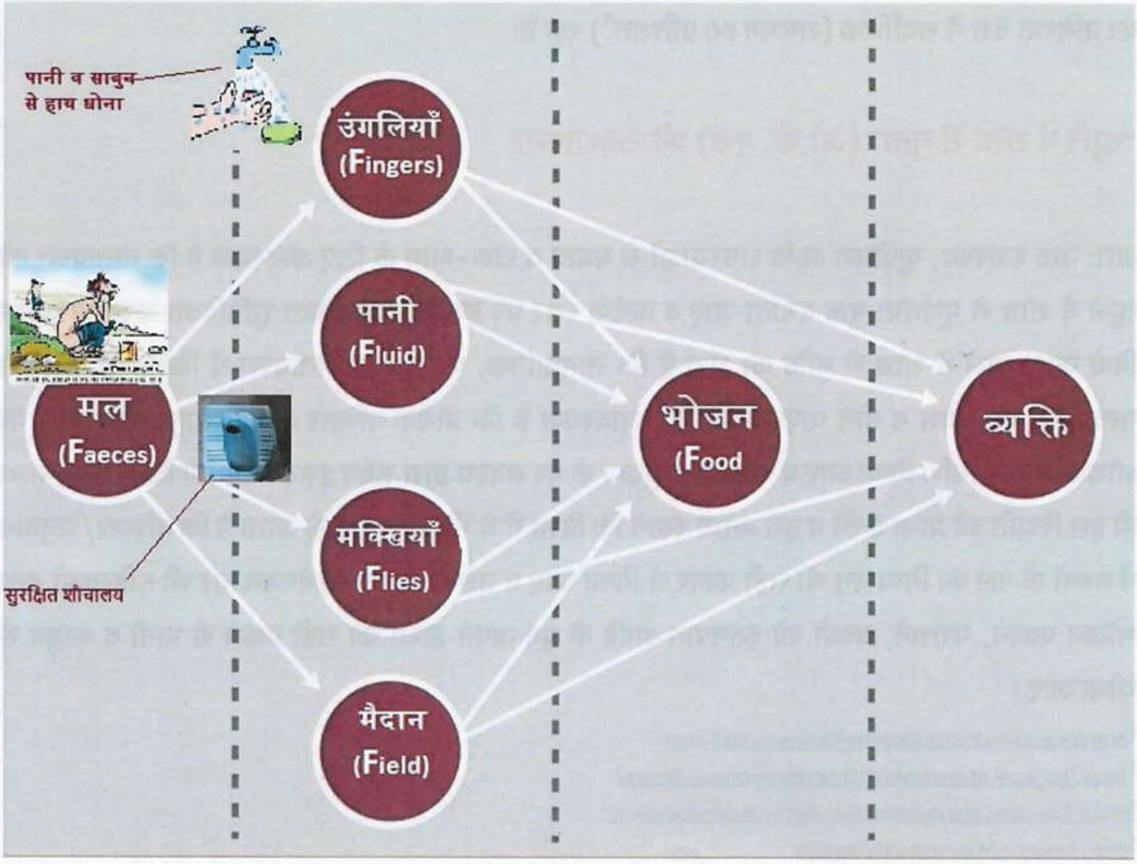

दिए गए चित्र के माध्यम से ये दर्शाने/ समझाने का प्रयास किया गया है कि खुले में पड़ा मानव मल (Faeces) किस प्रकार विभिन्न माध्यमों जैसे– मैदान (Field), पानी (Fluid), मक्खी (Flies), भोजन (Food) व उंगलियाँ (Fingers) के द्वारा वापस हमारे भोजन में मिल कर विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। इस प्रवाह चित्र को मल–मुख संक्रमण मार्ग कहा जाता है। अंग्रेजी के 'F' अक्षर के माध्यमों का प्रयोग होने से इसे 'एफ' चित्र (F Diagram) भी कहते हैं।

- उंगलियाँ (Fingers) – शौच के बाद साबुन व पानी से ठीक से हाथों का न धोना बीमारियों के प्रसार की पहली मुख्य वजह हैं। इन्ही गंदे हाथों से जब भोजन ग्रहण किया जाता है तब उँगलियों में छिपे मानव मल के कण हमारे शरीर में प्रवेश कर विभिन्न बीमारियों को जन्म देते हैं।

- पानी (Fluid) – बीमारियों के प्रसार का दूसरा माध्यम है पानी। खुले में पड़े मल में विभिन्न प्रकार के कीटाणु उत्पन्न हो जाते है, और यही मल बारिश के पानी आदि के माध्यम से बह कर निकट के पेय

जल स्त्रोतों तक पहुँच जाता है। बाद में यही पानी जब पीने के काम में लाया जाता है तब ये कई प्रकार की बीमारियों की वजह बनता है।

- मक्खियाँ (Flies) – बीमारियों के प्रसार का तीसरा मुख्य माध्यम है मक्खियाँ। मक्खियाँ खुले में पड़े मल पर बैठने के बाद जब खाने की वस्तुओं पर बैठती हैं तो मानव मल में छिपे कीटाणु लोगों के शरीर में प्रवेश कर अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। इसीलिए खुले में पड़े मल से बीमारियों के प्रसार का खातरा इन मक्खियों व अन्य कीटों के माध्यम से अधिक हो जाता है।

- मैदान (Field) – प्रसार का चौथा माध्यम है खुली जमीन / मैदान आदि स खेतों, मैदानों आदि में खुले में पड़ा मल हमारे जूते–चप्पलों, गाडी–बैलगाड़ी के पहियों, व पालतू जानवरों व मवेशियों के खुरों में लग कर हमारे घरेलु वातावरण में पुन: प्रवेश कर बीमारियों के संक्रमण की संभावनाओं को बढ़ा देता हैं।

अत: उक्त दिए गए चित्र व कारकों से ये साबित होता है कि बीमारियों के प्रसार की रोक–धाम हेतु वातावरण को खुले में शौच से पूर्णतय: मुक्त कर मानव मल के सही निष्पादन व साफ–सफाई सुनिश्चित करना आवश्यक है।

खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ) की अवधारणा से प्राय: सामान्यत: यही समझा जाता है कि वातावरण। खुले में कहीं भी मानव मल का दिखाई न देना, सभी प्रकार (निजी, सामुदायिक व सार्वजनिक) शौचालयों से निकलने वाले मल के उचित निपटान/निष्कासन हेतु बेहतर तकनीकी विकल्पों का उपलब्ध होना व निजी साफ–सफाई हेतु अपेक्षित व्यवहारों पर बल देना। यदि उपरोक्त कारकों पर विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि ये यह सभी मूलत: मानव व्यवहारों से जुड़े हुए हैं, अत: हमें खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ) की स्थिति को प्राप्त करने व उसकी संवहनीयता (Sustainability) के लिए जिम्मेवार मानवीय व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित सुरक्षित स्वच्छता व्यवहारों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

- ✓ व्यक्तिगत, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण व उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना।
- ✓ शिशु व बच्चों के मल के सुरक्षित निष्पादन हेतु प्रेरित करना।
- ✓ शौच के बाद व शिशु/ बच्चों का मल साफ करने के बाद साबुन व साफ पानी से ठीक प्रकार से हाथों को साफ करने हेतु प्रेरित करना।

मध्य प्रदेश में ओ.डी.एफ. की वर्तमान स्थिति:

भारत कि जनगणना–2011[7] के अनुसार मध्यप्रदेश में परिवारों की कुल सँख्या लगभग 1.5 करोड़ है, जो कि साल 2001 कि जनगणना के मुकाबले 73: अधिक है। वहीं मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रह रहे परिवारों की कुल संख्या लगभग 38 लाख बतायी गयी है। उक्त दिए गए आंकड़े के आधार पर यदि प्रदेश में सुरक्षित शौचालयों की स्थिति देखें, तो प्रदेश में कुल 26.5 प्रतिशत परिवारों के पास सुरक्षित शौचालय की सुविधा प्राप्त है, अपितु प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा काफी अधिक लगभग 71.5 प्रतिशत है। विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों में कहा गया है कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में 50,000 से कम आबादी वाले छोटे शहरों में स्थिति चिंताजनक है जहाँ 38 प्रतिशत लोग खुले में शौच करते हैं, वहीं मध्यम शहरों में (50,000 से 2.99 लाख आबादी वाले) 19 प्रतिशत लोग खुले में शौच करते हैं। बड़े शहरों में (03 लाख से अधिक आबादी वाले) 8 प्रतिशत लोग खुले में शौच करते हैं।

[7] http://censusindia.gov.in/2011census/hlo/Data_sheet/India/Latrine.pdf

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के उद्देश्यों को समय सीमा के अन्दर प्राप्त करने हेतु म.प्र. द्वारा अब तक लिए किये गए प्रमुख प्रयास और गतिविधियाँ:

- संचालनालय स्तर और निकायों द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग
- सर्वे करके शौचालयों की मांग प्राप्त करना
- शौचालय के प्रयोग और साफ सफाई के लिए विशेष जागरूकता अभियान
- प्रदेश में रोको–टोको अभियान के माध्यम से प्रयास
- स्कूलों में जागरूकता अभियान
- खुले में शौच का वेरिफिकेशन
- मीड्यिा और जनप्रतिनिधियों का जुड़ाव
- विभिन्न प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से खुले में शौच को हतोत्साहित करना.

प्रदेश के शहरी विकास विभाग व नगरीय निकायों के प्रयासों से माह जुलाई 2017 के प्रथम सप्ताह तक लगभग 202 निकाय खुले में शौच मुक्त प्रमाणित किये जा चुके हैं। भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था QCI द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद नगरीय निकायों का पुन: परीक्षण छ: माह की अवधि के बाद प्रस्तावित है, व इसके लिए खुले में शौच मुक्त (ODF) की स्थिति की संवहनीयता सुनिश्चित करने हेतु नागरिकों में अपेक्षित साकारात्मक व्यवहारों की प्राप्ति के उद्देश्य से विभिन्न सूचना–शिक्षा व व्यवहार परिवर्तन एवं सम्प्रेषण गतिविधियों को संचालित करने की आवश्यकता है। हितग्राहियों का जुड़ाव व भागीदारी सहभागी आकलन एवं सतत् निगरानी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

खुले में शौच से मुक्ति के लिए सतत रणनीति की आवश्यकता क्यों:

मध्यप्रदेश के 196 शहर QCI द्वारा खुले में शौच मुक्त घोषित/ प्रमाणित किये जा चुके हैं। जिन शहरों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है उनका QCI द्वारा पुन: भ्रमण निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। शहर में खुले में शौच मुक्त स्थिति को निरंतर बनाये रखने के लिए रणनीतिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। प्रदेश में स्वच्छ्ता के लिए किये ज़ा रहे प्रयासों की वजह से एक बड़ी आबादी ने स्वच्छ शौचालय का प्रयोग शुरु कर दिया है। अब प्रयास यह होना चाहिए कि खुले में शौच छोड़ चुके लोग व्यवहारिक कारणों, शौचालय इस्तेमाल में आए प्रतिकूल अनुभवों, शौचालयों में गंदगी, बदबू, अवधारणाओं, या किन्ही अन्य तकनीकी/ रख–रखाव के कारणों की वजह से वापस खुले में शौच करना दोबारा से ना शुरू कर दें।
इस हेतु निकायों को वर्तमान में उपलब्ध अधोसंरचना। सुविधाओं/सेवाओं की उचित निरीक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध कार्य योजना (समय सीमा के साथ) बना कर कार्य करना होगा, जिससे न

सिर्फ खुले में शौच मुक्त निकाय अपनी संवहनीयता बनाये रखा पाए अपितु निकाय क्षेत्र में आई चलित जनसँख्या के पास शौचालय के प्रयोग के पर्याप्त विकल्प उपलब्ध हों।

खुले में शौच से मुक्त बनाने व उसकी संवहनीयता बनाये रखने हेतु निकाय स्तर पर प्रस्तावित गतिविधियाँ :

सभी नगरीय निकायों की अपनी अलग भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थापना की वजह से निकाय विशेष रणनीति आवश्यक हो जाती है। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर जागरूकता लाने व खुले में शौच मुक्त शहर कि संवहनीयता के लिए निकाय व सामुदायिक दोनों स्तरों पर सतत् निगरानी व सतत् संवाद की आवश्यकता है। जिन नगरीय निकायों ने खुले में शौच से मुक्त होने का प्रमाण हासिल कर लिया है उनके लिए ये अत्याधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे विभिन्न स्तरों पर सतत् निगरानी व संवाद स्थापित करने हेतु सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें। इस हेतु वार्ड स्तर पर नागरिकों, सामाजिक व धार्मिक संगठ्नो को स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत संचालित हो रही गतिविधियों के बारे में संवेदित कर सक्रिय भागीदारी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति व खुले में शौच से मुक्त निकाय की संवहनीयता बनाई रखी जा सकती है। अत: खुले में शौच से मुक्त निकाय व उसकी संवहनीयता की स्थिति और मिशन अंतर्गत दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निकाय स्तर पर प्रस्तावित सहभागी निगरानी व स्वच्छ्ता व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य के साथ गतिविधियों के संचालन हेतु निम्न चरणों में तैयारी सुनिश्चित करनी होगी।

निरीक्षण दल का गठ्न

- निकाय द्वारा स्व व जन-जागरूकता गतिविधियों हेतु चयनित सहयोगी संस्था के सहयोग से निकाय स्तर पर चयनित वार्ड व मोहल्लों में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्मित/संचालित ढ्ांचागत सेवाओं व आई.ई.सी. गतिविधियों की सहभागी निगरानी/अनुश्रवण हेतु प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु निरीक्षण दलों का गठ्न किया जाना है।
- उक्त दल में गतिविधियों के अनुरूप विभिन्न सामजिक क्षेत्रों से लोगों को चुना जा सकता है। जैसे कि क्षेत्रों के जन प्रतिनिधि, वार्ड कार्यालय के कर्मचारी/सफाई कर्मी, नागरिक सदस्य, धार्मिक प्रतिनिधि, स्कूली शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वास्थ्य व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि शामिल किए जाएं।

निरीक्षण दल के सदस्यों का प्रशिक्षण

- सामुदायिक स्तर पर प्रस्ताविक सहभागी निगरानी/निरीक्षण गतिविधियों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर विभिन्न प्रपत्रों की रचना की गयी है।
- अत: निकाय अंतर्गत चयनित वार्ड व मोहल्लों में निरीक्षण/निगरानी दलों के गठन पश्चात इस हेतु प्रयोग किये जाने वाले प्रपत्रों के उपयोग व निरीक्षण दौरान/पश्चात की जाने वाली चर्चा के मुद्दों/बिन्दुओं के बारे में दल के प्रत्येक सदस्य के प्रशिक्षण/ उन्मुखीकरण किया जाए।

खुले में शौच हेतु चिन्हित व संभावित स्थलों का चयन व निर्धारित समय अंतराल पर निरीक्षण हेतु कार्य योजना का निर्माण

- प्रभावी सामुदायिक/सहभागी अनुश्रवण व निगरानी हेतु यह आवश्यक है कि निकाय स्तर पर वार्ड कार्यालयों, मोहल्ला समितियों व स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से पूर्व में चिन्हित व नए खुले में शौच के स्थानों, व्यक्तिगत शौचालयों, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों, स्कूल व आँगनवाड़ियों का चिन्हांकन किया जाए।
- साथ ही प्रत्येक वार्ड / मोहल्ला वार निरीक्षण भ्रमण हेतु विस्तृत कार्ययोजना का निर्माण किया जाए।

निरीक्षण परिणामों के आधार पर आवश्यक तकनीकी / प्रशासनिक सुधार

- सामुदायिक स्तर पर अनुश्रवण व स्वच्छता व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से संचालित की जाने वाली सहभागी निगरानी गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य निकाय द्वारा हासिल की गयी खुले में शौच से मुक्त निकाय की स्थिति की संवहनीयता को सुनिश्चित करना है।
- इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उक्त गतिविधि से हासिल किये गए अवलोकन बिन्दुओं व परिणामों को उचित स्तर पर साझा किया जाये, ताकि निकाय द्वारा ODF की संवहनीयता को सुरक्षित करने के लिए जरूरी प्रशासनिक सुधारात्मक प्रयासों के साथ-साथ वर्तमान प्रचार-प्रसार व जन-जागरूकता कार्ययोजनाओं में भी आवश्यक बदलाव लाये जा सकें।

सहभागी निगरानी व स्वच्छ्ता व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन हेतु प्रस्तावित गतिविधियाँ :

1	गृह भेंट/व्यक्तिगत शौचालयों का निरीक्षण	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न	(अनुलग्नक क्रं: 1)
2	खुले में शौच हेतु चिन्हित स्थान का भ्रमण/ निरीक्षण	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न	(अनुलग्नक क्रं: 2)
3	सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय का भ्रमण/ निरीक्षण	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न	(अनुलग्नक क्रं: 3)
4	स्कूल व आंगनवाडी भ्रमण/ निरीक्षण	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न	(अनुलग्नक क्रं: 4)
5	निर्माणाधीन साईट का भ्रमण/ निरीक्षण	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न	(अनुलग्नक क्रं: 5)

अनुश्रवण / निगरानी / रिपोर्टिंग प्रक्रिया व प्रपत्र:

खुले में शौच मुक्त स्थिति एवं नागरिकों के स्वच्छ्ता व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन को स्थाई बनाने हेतु अनुश्रवण / निगरानी व सामुदायिक स्तर पर सतत संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। निकाय स्थानीय आवश्कयताओं को समझते हुए गतिविधि की आवृति और समयसीमा में परिवर्तन कर सकते है ।

1. गतिविधि –	गृह भेंट/ व्यक्गित शौचालयों का निरीक्षण
उद्देश्य:	आम नागरिकों को नवनिर्मित शौचालयों के उपयोग, रखा–रखाव एवं सफाई रखाने व सुरक्षित स्वच्छ्ता व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करना।
कौन करेगा:	निरीक्षण दल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, स्वच्छ्ताग्रही, चयनित स्वयं सेवी संस्था के सदस्य, निकाय के अधिकारी
कब करेगा:	प्रत्येक वार्ड में प्रति सप्ताह पांच (05) व्यक्तिगत शौचालयों का निरीक्षण।
लक्षित समूह:	मोहल्लों में रह रहे परिवार, झुग्गी बस्तियों के निवासी।
क्रियान्वयन प्रक्रिया:	▪ निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य निरीक्षण हेतु वार्ड में किसी एक मोहल्ले व झुग्गी बस्ती का चयन करें। ▪ निरीक्षण दल द्वारा प्रतिसप्ताह प्रत्येक वार्ड के कम से कम 05 घरों में व्यक्तिगत भेंट, व शौचालय का निरीक्षण किया जाए। इस प्रकार 1 माह में कम से कम 100 घरों के व्यक्तिगत शौचालयों का भ्रमण निरीक्षण किया जाए। ▪ अवलोकन कर दल का कोई एक सदस्य संलग्न प्रपत्र के लिंक पर क्लिक कर अपने मोबाइल फोन अथवा कंप्यूटर के माध्यम से सीधे जानकारी भरें। ▪ निरिक्षण दल आवश्यकता आकलन कर निकाय से जानकारी साझा करें एवं शौचालय के रखारखाव सरंक्षण हेतु अपेक्षित सहयोग की व्यवस्था करें । ▪ निरीक्षण दल के सदस्य गृह भेंट के दौरान शौचालय के नियमित उपयोग व बच्चों के मल के सुरक्षित निपटान पर भी चर्चा करें।
अनुलग्नक क्रं – 2:	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न: ☞ व्यक्तिगत शौचालय निरीक्षण हेतु (कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें।)

2. गतिविधि – खुले में शौच हेतु चिन्हित स्थान का भ्रमण / निरीक्षण

उद्देश्य:	सामुदायिक सहभागिता एवं निगरानी सुनिश्चित करते हुए निकाय को खुले में शौच मुक्त बनाना।
कौन करेगा:	निरीक्षण दल के सदस्य (जन प्रतिनिधि, स्वच्छताग्रही, निकाय के अधिकारी एवं चयनित स्वंयसेवी संस्था के सदस्य)
कब करेगा:	प्रत्येक वार्ड के OD स्पॉट्स का हर महीने कम से कम दो बार निरीक्षण।
लक्षित समूह:	आम नागरिक / रहवासी समितियां
क्रियान्वयन प्रक्रिया:	▪ खुले में शौच हेतु चिन्हित स्थानों की सूची निकाय से लेकर भ्रमण हेतु स्थान का चयन करें। ▪ नगर के सभी चिन्हित खुले में शौच के स्थान का कम से कम माह में दो बार निरीक्षण/भ्रमण अवश्य होना चाहिए। ▪ निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा भ्रमण, निरीक्षण के बाद मोहल्ले, समुदाय, बस्ती, वार्ड के अलग-अलग स्थानों पर सामूहिक चर्चा का आयोजन किया जाए। ▪ इन समूह चर्चाओं के माध्यम से रहवासियों को खुले में शौच के नुकसान के साथ-साथ नगर को स्वच्छ रखाने के विषयों पर रहवासियों से चर्चा की जाए। ▪ अवलोकन कर दल का कोई एक सदस्य संलग्न प्रपत्र के लिंक पर क्लिक कर अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सीधे जानकारी भरें।
अनुलग्नक क्रं – 1:	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न: ☞ समुदाय स्तर पर OD स्पॉट्स के निरीक्षण हेतु प्रपत्र (कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें।)

3. गतिविधि – सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय का भ्रमण निरीक्षण

उद्देश्य:	निकाय अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयों में सतत अवलोकन, निरीक्षण एवं निगरानी के माध्यम से शौचालयों के उपयोग, रख–रखाव एवं सफाई हेतु सम्बंधित निकाय को अवगत कराना और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरित करना।
कौन करेगा:	निरीक्षण दल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, निकाय के अधिकारी, स्वच्छताग्रही, चयनित संस्था के सदस्य, आदि।
कब करेगा:	प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक वार्ड का कम से कम 01 सार्वजनिक तथा 01 सामुदायिक शौचालय।
लक्षित समूह:	सामान्यजन, नागरिक, रहवासी समितियों के युवा
क्रियान्वयन प्रक्रिया:	• निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य सार्वजनिक व सामुदायिक शौचलयों की सूची निकाय से लेकर निरीक्षण हेतु सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय का चयन करें। • निरीक्षण दल के सदस्य प्रत्येक सप्ताह वार्ड के 01 सार्वजनिक तथा 01 सामुदायिक शौचालय का भ्रमण निरीक्षण अवश्य करें। • अवलोकन कर दल के सदस्य संलग्न प्रपत्र के लिंक पर क्लिक कर अपने मोबाइल फोन अथवा कंप्यूटर के माध्यम से सीधे जानकारी भरें। • अवलोकन व जानकारी के आधार पर उपयुक्त जन–जागरूकता गतिविधियों का निर्माण करे व मुद्दों पर चर्चा हेतु सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करें । • निरीक्षण दल के सदस्य सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों का निर्माण व प्रबंधन देख रही संस्थाओं के साथ अपने अनुभव व सुझाव साझा करें ।
अनुलग्नक क्रं –4:	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न: ☞ सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय के निरीक्षण हेतु (कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें।)

4. गतिविधि –	स्कूल व आंगनवाड़ी भ्रमण निरीक्षण
उद्देश्य:	निकाय अंतर्गत विद्यालयों एवं आंगनवाडीयों के शौचालयों में सतत अवलोकन, निरीक्षण एवं निगरानी के माध्यम से शौचालयों के उपयोग, रख–रखाव एवं सफाई रखने तथा सुरक्षित स्वच्छता व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करना।
कौन करेगा:	निरीक्षण दल के सदस्य, प्राचार्य, शिक्षक, आंगनवाडी सुपरवाइजर, आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका, जनप्रतिनिधि, स्वच्छताग्रही, निकाय के अधिकारी, आदि।
कब करेगा:	प्रत्येक सप्ताह वार्ड के कम से कम 01 शासकीय विद्यालय, 01 निजी विद्यालय व 01 आंगनवाडी।
लक्षित समूह:	स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक, आंगनवाडी सुपरवाइजर, आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका स्कूली छात्र, छात्रायें, स्कूल का अन्य स्टाफ व आंगनवाडी पर आने वाले बच्चे।
क्रियान्वयन प्रक्रिया:	▪ निरीक्षण दल के सदस्य वार्ड के शासकीय व निजी विद्यालयों अत: निकाय क्षेत्र कि आंगनवाडी केन्द्रों की सूची निकाय से लेकर निरीक्षण हेतु विद्यालयों व आंगनवाडीय केन्द्रों का चयन करें। ▪ निरीक्षण दल के सदस्य प्रत्येक सप्ताह वार्ड के कम से कम 01 शासकीय विश्वविद्यालय, 01 निजी विद्यालय व 01 आंगनवाड़ी का निरीक्षण करें। ▪ अवलोकन कर दल के सदस्य संलग्न प्रपत्र के लिंक पर क्लिक कर अपने मोबाइल फोन अथवा कंप्यूटर के माध्यम से सीधे जानकारी भरें। ▪ अवलोकन व जानकारी के आधार पर स्कूल से संबधित शिक्षक/अधिकारी अथवा आंगनवाडी पर सुपरवाइजर/कार्यकर्ता से चर्चा करें एवं आवश्कयतानुसार सलाह/ सुझाव देकर व्यवस्थाएं सुदृढ़ करें। ▪ निरीक्षण दल के सदस्य स्कूल व आंगनवाडी के बच्चो के साथ चर्चा करें इस चर्चा में शौचालय के उपयोग रखा रखाव एवं प्रबंधन में बच्चों की सहभागिता बढांए व बच्चों को सुरक्षित व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करे।
अनुलग्नक क्रं –3:	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न: ☞ स्कूल व आंगनवाडी में शौचालय के निरीक्षण हेतु (कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें।)

5. गतिविधि –	निर्माणाधीन साईट का भ्रमण निरीक्षण
उद्देश्य:	निकाय अंतर्गत निर्माणाधीन साईट में मजदूरों व गतिशील जनसँख्या के लिए रखवाए गए शौचालयों में सतत अवलोकन, निरीक्षण एवं निगरानी के माध्यम से शौचालयों के उपयोग, रख–रखाव एवं साफ–सफाई हेतु सम्बंधित कांट्रेक्टर/ बिल्डर / निकाय को सूचित कर अवगत कराना और कार्यवाही हेतु प्रेरित करना।
कौन करेगा:	निरीक्षण दल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, निकाय के अधिकारी, स्वच्छाग्रही चयनित संस्था के सदस्य, आदि
कब करेगा:	प्रत्येक सप्ताह प्रतेक वार्ड कि 01 निर्माणाधीन साईट
लक्षित समूह:	कार्यरत मजदूर व गतिशील जनसंख्या
क्रियान्वयन प्रक्रिया:	▪ निरीक्षण दल के सदस्य अपने वार्ड में समस्त निर्माणधीन स्थलों को चिन्हित कर सूची तैयार करें। ▪ प्रतेक सप्ताह कम से कम 01 निर्माणाधीन स्थलों का भ्रमण निरीक्षण करें। ▪ इन निर्माणाधीन स्थलो में श्रमिकों के लिए पर्याप्त और स्वच्छ शौचालयों एवं पीने के पानी की व्यवस्था का अवलोकन करें। ▪ निरीक्षण दल के सदस्य निर्माणधीन स्थल के जिम्मेदार अधिकारी से चर्चा करें एवं अवलोकन के आधार पर सुझाव पर सुझाव सलाह दें। ▪ निरीक्षण दल अवलोकन के आधार पर प्राप्त जानकारी को निकाय के संबधित अधिकारी को जमा करे। ▪ अवलोकन कर दल के सदस्य संलग्न प्रपत्र के लिंक पर क्लिक कर अपने मोबाइल फोन अथवा कंप्यूटर के माध्यम से सीधे जानकारी भरें। ▪ अवलोकन व जानकारी के आधार पर उपयुक्त जन–जागरूकता गतिविधियों का निर्माण करे व मुद्दों पर चर्चा हेतु सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करें।
अनुलग्नक क्रं –6:	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न: ☞

<u>नोट: निम्न दी गयी गतिविधियों हेतु प्रपत्र प्रारूप व ऑनलाइन प्रपत्र भरे जाने हेतु लिंक इस दस्तावेज में प्रत्येक गतिविधि के साथ संलग्न है।</u>

व्यक्तिगत शौचालय हेतु निरीक्षण प्रपत्र

☞ व्यक्तिगत शौचालय निरीक्षण हेतु

(कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें।)

- निरीक्षणकर्ता / दल प्रत्येक वार्ड में प्रति सप्ताह पांच (05) व्यक्तिगत शौचालयों का निरीक्षण।
- व्यक्तिगत चर्चा में परिवार के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।
- निरीक्षण प्रपत्र भरने के उपरान्त आवश्यक सलाह सुझाव एवं चर्चा करें।

तारीखा		नगरीय निकाय का नाम			
जिला		मोहल्ला / क्षेत्र		वार्ड क्रं	
दल के मुख्य सदस्य का नाम			मुख्य सदस्य का मोबाइल नंबर		
दल के मुख्य सदस्य का पद			निरीक्षण / भ्रमण क्रं		

दल में शामिल सदस्यों की कुल संख्या ☐

निकाय सदस्य	☐	सफाई दरोगा/ कर्मचारी	☐	जन प्रतिनिधि	☐
नागरिक सदस्य	☐	धार्मिक प्रतिनिधि	☐	स्कूल शिक्षक	☐
सामाजिक कार्यकर्ता	☐	स्वास्थ्य कर्मी	☐	आंगनवाडी कार्यकर्ता	☐

प्रश्न विवरण		प्रथम परिवार आवास		तृतीय परिवार आवास		तृतीय परिवार आवास		चौथा परिवार आवास		सँचवा परिवार आवास	
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
क्या घर में शौचालय है ?											
क्या परिवार साझा/सामुदायिक शौचालय का उपयोग करता है?											
उपयोग किये जा रहा शौचालय का प्रकार क्या है ?	सेप्टिक टैंक वाला										
	दो गड्ढों वाला										
क्या घर के सभी सदस्य (03 वर्ष से ऊपर के) इसका उपयोग करते है ?											
क्या घर के सभी सदस्य आवश्यकता पड़ने पर हर बार इसका उपयोग करते है ?											
क्या शौचालय स्वच्छ व बदबू रहित है?											

क्या शौचालय में दरवाजे को अन्दर से बंद करने की व्यवस्था है (कुण्डी लगी है)?											
क्या शौचालय में खिड़की/रोशनदान है ?											
क्या शौचालय में या इसके आस–पास हाथ ढ़ोने की व्यवस्था है?											
क्या शौचालय के आस–पास खुले में मल दिखा है?											
क्या घर व गली में आस–पास खुले में मल दिखा है?											
घर में छोटे बच्चों के मल का निष्पादन कैसे किया जाता है?	खुले में फेंक देते हैं										
	नाली में बहा देते हैं										
	डस्टबिन में डाल देते हैं										
	शौचालय में डाल कर पानी से बहा देते हैं										
कोई अन्य सुझाव व चर्चा किए गए बिन्दु:											

अवलोकन/निरीक्षण के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सुझाव/सलाह,

1 ....

2 ....

3 ....

अगले निरीक्षण की तारीख ....

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता

समुदाय/ वार्ड स्तर पर खुले में शौच वाले स्थानों के निरीक्षण हेतु प्रपत्र

☞ समुदाय स्तर पर OD स्पॉट्स के निरीक्षण हेतु प्रपत्र

(कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें)

- प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक वार्ड का कम से कम 01 सार्वजनिक तथा 01 सामुदायिक शौचालय।
- प्रत्येक निरीक्षण, भ्रमण के बाद समूह बैठक एवं चर्चा का आयोजन करे।
- समूह बैठक एवं चर्चा में संबधित मुद्दों और समस्याओं पर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करें तथा अगले भ्रमण निरीक्षण के लिये कार्य योजना बनाये।

तारीख		नगरीय निकाय का नाम			
जिला		मोहल्ला / क्षेत्र		वार्ड क्रं	
दल के मुख्य सदस्य का नाम		मुख्य सदस्य का मोबाइल नंबर			
दल के मुख्य सदस्य का पद		निरीक्षण / भ्रमण क्रं			

दल में शामिल सदस्यों की कुल संख्या ☐

निकाय सदस्य	☐	सफाई दरोगा/ कर्मचारी	☐	जन प्रतिनिधि	☐
नागरिक सदस्य	☐	धार्मिक प्रतिनिधि	☐	स्कूल शिक्षक	☐
सामाजिक कार्यकर्ता	☐	स्वास्थ्य कर्मी	☐	आंगनवाडी कार्यकर्ता	☐

वार्ड में चिन्हित खुले में शौच वाले स्थान (OD Spot) की कुल संख्या

निरीक्षण किये जा रहे "खुले में शौच वाले स्थान" (OD Spot) का नाम

निरीक्षण के बिंदु	हाँ	नहीं
क्या सड़कों पर, घरों के आस-पास कहीं खुले में पड़ा मल दिखाई दिया?		
क्या वार्ड या समुदाय में निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में कोई नया 'खुले मे शौच वाला स्थान' OD स्पॉट दिखाई दिया या चिन्हित हुआ?		
यदि 'हाँ' तो, स्थान का नाम :		
क्या चिन्हित 'खुले में शौच वाले स्थानों' OD स्पॉट्स पर खुले में शौच करते व्यक्ति अथवा मल दिखाई दिए?		

खुले में शौच कर रहे व्यक्ति/ व्यक्तियों से क्या आप चर्चा कर पाए?		
खुले में शौच कर रहे व्यक्ति/व्यक्तियों किस क्षेत्र/ मोहल्ले से थे?		
खुले में शौच कर रहे व्यक्ति/ व्यक्तियों के घर में शौचालय की व्यवस्था है?		
वार्ड या समुदाय में क्या क्षेत्र के स्कूलों के आस–पास खुले में मल दिखाई दिया?		
वार्ड या समुदाय में क्या क्षेत्र की आंगनवाडीयों के आस–पास खुले में मल दिखाई दिया?		
अन्य सुझाव व निरीक्षण के दौरान समुदाय में की गयी चर्चा के मुख्य बिंदुः		

अवलोकन/निरीक्षण के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सुझाव/सलाह,

1...

2...

3...

अगले निरीक्षण की तारीख ....

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता

संस्थागत निरीक्षण (सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय)

सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय के निरीक्षण हेतु

(कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें)

- निरीक्षणकर्ता /दल प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक वार्ड का कम से कम 01 सार्वजनिक तथा 01 सामुदायिक शौचालय।
- प्रत्येक निरीक्षण भ्रमण के बाद समूह बैठक एवं चर्चा का आयोजन करें।
- समूह बैठक एवं चर्चा में संबधित मुद्दों और समस्याओं पर समुदाय भी भागीदारी सुनिश्चित अगले भ्रमण निरीक्षण के लिये कार्य योजना बनायें।
- मुदाय में निर्मित स्वच्छता अधोसंरचनाओं सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का संरक्षण एवं स्वामित्व की भावना का विकास हेतु प्रेरित करें।

तारीख		नगरीय निकाय का नाम			
जिला		मोहल्ला / क्षेत्र		वार्ड क्रं	
दल के मुख्य सदस्य का नाम			मुख्य सदस्य का मोबाइल नंबर		
दल के मुख्य सदस्य का पद			निरीक्षण / भ्रमण क्रं		
दल में शामिल सदस्यों की कुल संख्या ☐					
निकाय सदस्य ☐		सफाई दरोगा/ कर्मचारी ☐		जन प्रतिनिधि ☐	
नागरिक सदस्य ☐		धार्मिक प्रतिनिधि ☐		स्कूल शिक्षक ☐	
सामजिक कार्यकर्ता ☐		स्वास्थ्य कर्मी ☐		आंगनवाडी कार्यकर्ता ☐	

निरीक्षण के बिंदु	सामुदायिक शौचालय		सार्वजनिक शौचालय	
	हाँ	नही	हाँ	नही
क्या सामुदायिक /सार्वजनिक शौचालय नियमित खुला रहता है ?				
क्या शौचालय में पानी की उपयुक्त व्यवस्था है?				
क्या महिला एवं पुरुष प्रसाधन अलग–अलग हैं?				

क्या सार्वजनिक/ सामुदायिक शौचालय में सभी टॉयलेट सीट्स उपयोग करने की स्थिति में है?					
क्या सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय में विद्युत की व्यवस्था है?					
क्या सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय के अन्दर किसी शौचालय ईकाई में ताला लगा हुआ है?					
क्या सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालय के अन्दर सभी टॉयलेट सीट्स स्वच्छ व बदबू रहित है?					
क्या सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालय के प्रत्येक टॉयलेट ईकाई में दरवाजे को अन्दर से बंद करने की व्यवस्था है (कुण्डी लगी है)?					
क्या शौचालय में खिड़की/रोशनदान है?					
क्या शौचालय में या इसके आस–पास हाथ धोने की व्यवस्था है?					
क्या शौचालय के आस–पास खुले में मल दिखा है?					
यदि डस्टबिन रखा है?	महिला प्रसाधन क्षेत्र में				
	पुरुष प्रसाधन क्षेत्र में				
	कॉमन एरिया में				
क्या शौचालय के आस–पास पानी का जमाव है?					
क्या शौचालय में हाथ धोने के साबुन की व्यवस्था थी?					
क्या शौचालय के सफाई कर्मी से चर्चा हो पायी?					
क्या शौचालय में विद्युत की व्यवस्था है?					
क्या शौचालय के सफाई कर्मी के पास सफाई सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था थी?					
क्या शौचालय Child Friendly है?					
क्या शौचालय Disabled Friendly है?					
क्या शौचालय में असली तरक्की के पोस्टर्स लगे हुए है?					

अन्य सुझाव व निरीक्षण के दौरान समुदाय में की गयी चर्चा के मुख्य बिंदु:

अवलोकन/निरीक्षण के आधार स्र आवश्यक कार्यवाही हेतु सुझाव/सलाह,

1 ....

2 ....

3 ....

अगले निरीक्षण की तारीख ....

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता

स्कूल / आंगनबाडी निरीक्षण

स्कूल व आंगनवाडी में शौचालय के निरीक्षण हेतु

(कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें)

- प्रत्येक सप्ताह वार्ड के कम से कम 01 शासकीय विद्यालय, 01 निजी विद्यालय व 01 आंगनवाडी।
- प्रत्येक निरीक्षण भ्रमण के बाद समूह बैठक एवं चर्चा का आयोजन करें जिसमें शौचालय के रखरखाव प्रबंधन एवं नियमित उपयोग पर चर्चा करें।
- निरीक्षण प्रपत्र भरने के उपरांत आवश्यक सलाह, सुझाव देकर संबधित मुद्दो और समस्याओं की भागीदारी सुनिश्चित करें तथा अगले भ्रमण निरीक्षण के लिये कार्य योजना बनायें।

तारीख		नगरीय निकाय का नाम			
जिला		मोहल्ला / क्षेत्र		जिला	
दल के मुख्य सदस्य का नाम				मुख्य सदस्य का मोबाइल नंबर	
दल के मुख्य सदस्य का पद				निरीक्षण / भ्रमण क्रं	

दल में शामिल सदस्यों की कुल संख्या ☐

निकाय सदस्य	☐	सफाई दरोगा/ कर्मचारी	☐	जन प्रतिनिधि	☐
नागरिक सदस्य	☐	धार्मिक प्रतिनिधि	☐	स्कूल शिक्षक	☐
सामाजिक कार्यकर्ता	☐	स्वास्थ्य कर्मी	☐	आंगनवाडी कार्यकर्ता	☐

निरीक्षण के बिंदु	स्कूल		आंगनवाडी	
	हाँ	नही	हाँ	नही
क्या स्कूलः आंगनवाडी में शौचालय की व्यवस्था है ?				
क्या निरीक्षण किये गए स्कूल एवं आंगनवाडी में एक से अधिक शौचालय हैं ?				
क्या लड़कियों अथवा लड़कों के लिए अलग–अलग शौचालय हैं?				
क्या शौचालय नियमित खुला रहता है ?				

क्या सभी शौचालय उपयोग किये जा रहे हैं ?				
क्या शौचालय में पानी की उपयुक्त व्यवस्था है?				
क्या सभी बच्चे शौचालयों का नियमित इस्तेमाल करते हैं ?				
क्या शौचालय उपयोग करने की स्तिथि में है?				
क्या शौचालय में ताला लगा हुआ है?				
क्या शौचालय स्वच्छ व बदबू रहित है ?				
क्या शौचालय में दरवाजे को अन्दर से बंद करने की व्यवस्था है (कुण्डी लगी है) ?				
क्या शौचालय में खिड़की/रोशनदान है?				
क्या स्कूल /आंगनवाडी के शौचालय में Child Friendly टॅायलेट सीट्स लगी हुई है ?				
क्या शौचालय में या इसके आस–पास हाथ धोने की व्यवस्था है?				
क्या शौचालय के आस–पास खुले में मल दिखा है?				
क्या शौचालय के आस–पास पानी का जमाव है?				
क्या शौचालय में डस्टबिन रखा है?				

अन्य सुझाव व निरीक्षण के दौरान समुदाय में की गयी चर्चा के मुख्य बिंदु:

अवलोकन/निरीक्षण के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सुझाव/सलाह,

1..

2..

3..

अगले निरीक्षण की तारीख ....

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता

निर्माणाधीन स्थल में शौचालयों का निरीक्षण प्रपत्र

निर्माणाधीन स्थल में शौचालयों का निरीक्षण प्रपत्र

(कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें)

- प्रत्येक सप्ताह वार्ड के कम से कम 01 निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण भ्रमण।
- प्रत्येक निरीक्षण भ्रमण के बाद समूह बैठक एवं चर्चा का आयोजन करें जिसमें शौचालय/चलित शौचालय के रखरखाव प्रबंधन एवं नियमित उपयोग पर चर्चा करें।
- निरीक्षण प्रपत्र भरने के उपरांत आवश्यक सलाह, सुझाव देकर संबंधित मुद्दो और समस्याओं की भागीदारी सुनिश्चित करें तथा अगले भ्रमण निरीक्षण के लिये कार्य योजना बनाये।

तारीख		नगरीय निकाय का नाम			
जिला		मोहल्ला / क्षेत्र		जिला	
दल के मुख्य सदस्य का नाम			मुख्य सदस्य का मोबाइल नंबर		
दल के मुख्य सदस्य का पद			निरीक्षण / भ्रमण क्रं		

दल में शामिल सदस्यों की कुल संख्या ☐

निकाय सदस्य	☐	सफाई दरोगा/ कर्मचारी	☐	जन प्रतिनिधि	☐
नागरिक सदस्य	☐	धार्मिक प्रतिनिधि	☐	स्कूल शिक्षक	☐
सामाजिक कार्यकर्ता	☐	स्वास्थ्य कर्मी	☐	आंगनवाडी कार्यकर्ता	☐

निरीक्षण के बिंदु	हाँ	नही
क्या निर्माणाधीन स्थल पर गतिशील जनसँख्या, मजदूरों के लिए शौचालय की व्यवस्था है ?		
क्या निरीक्षण किये गए निर्माणाधीन स्थल में एक से अधिक शौचालय हैं ?		
क्या महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय हैं ?		
क्या शौचालय नियमित खुला रहता है ?		
क्या सभी शौचालय उपयोग किये जा रहे हैं ?		

क्या शौचालय में पानी की उपयुक्त व्यवस्था है ?		
क्या निर्माणाधीन स्थल पर मजदूर व अन्य गतिशील जनसँख्या के बच्चों के लिए शौचालयों कि व्यवस्था है ?		
क्या सभी शौचालय उपयोग करने की स्थिति में है ?		
क्या शौचालय में ताला लगा हुआ है ?		
क्या शौचालय स्वच्छ व बदबू रहित है ?		
क्या शौचालय में दरवाजे को अन्दर से बंद करने की व्यवस्था है (कुण्डी लगी है)?		
क्या शौचालय में खिड़की/रोशनदान है ?		
क्या शौचालय में या इसके आस-पास हाथ धोने की व्यवस्था है ?		
क्या शौचालय के आस-पास खुले में मल दिखा है ?		
क्या शौचालय के आस-पास पानी का जमाव है ?		
क्या शौचालय में डस्टबिन रखा है ?		
अन्य सुझाव व निरीक्षण के दौरान समुदाय में की गयी चर्चा के मुख्य बिंदु:		

अवलोकन/निरीक्षण के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सुझाव/सलाह,

1 ....

2 ....

3 ....

अगले निरीक्षण की तारीख ....

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

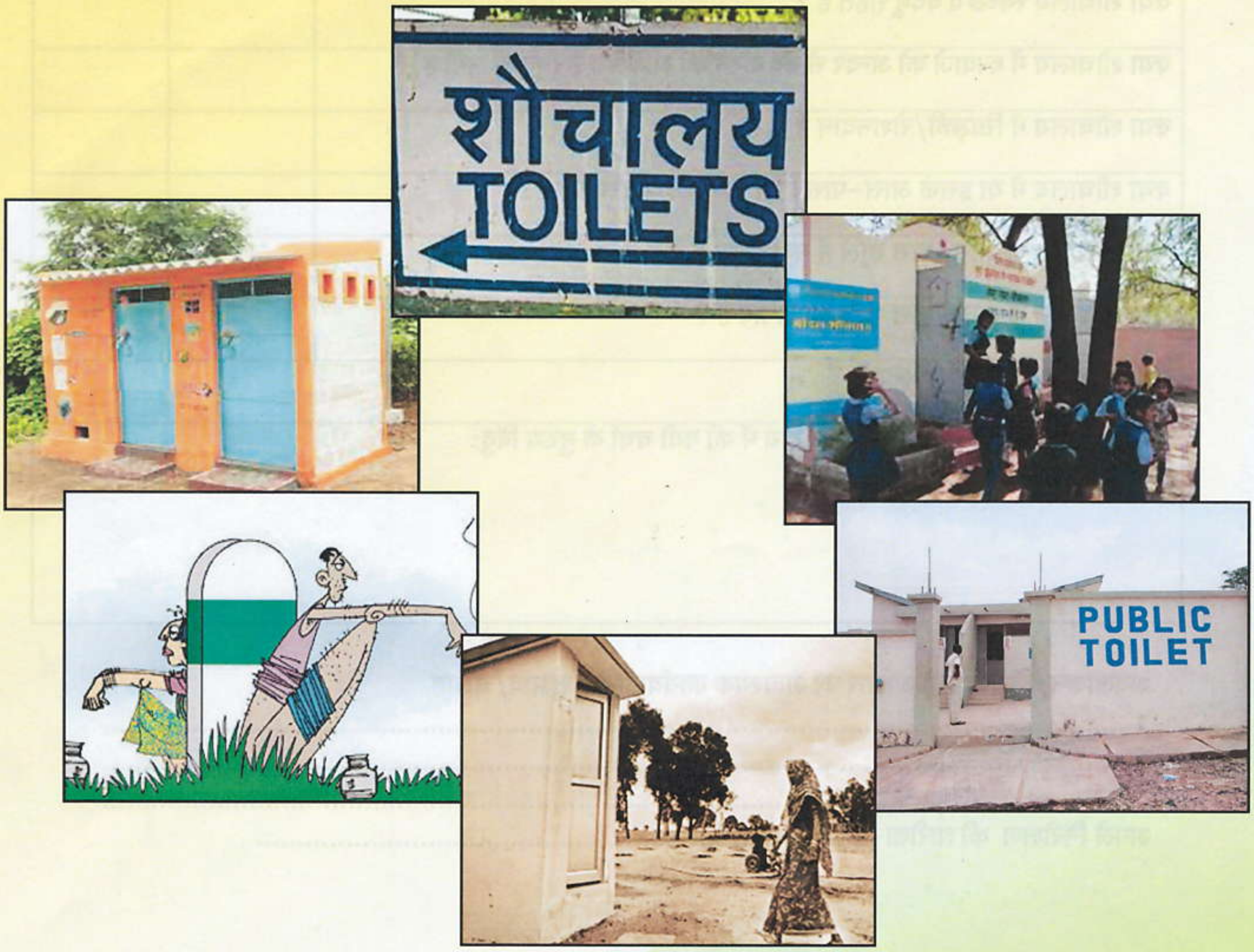

खुले में शौच मुक्त शहर की संवहनीयता हेतु दिशा निर्देश

जुलाई - 2017

स्वच्छ भारत मिशन(शहरी)

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

विषय सूचीः

- परिचय – स्वच्छ भारत मिशन(शहरी)
- ‘खुले में शौच’ (ओपन डेफिकेशन) की पृष्ठभूमि
- खुले में शौच के दुष्प्रभाव
- खुले में शौच के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव
- ”खुले में शौच से मुक्त“ (ओ.डी. एफ) की अवधारणा
- मध्य प्रदेश में ओ.डी.एफ. की वर्तमान स्थिति
- खुले में शौच से मुक्ति के लिए सतत् रणनीति की आवश्यकता क्यों
- खुले में शौच से मुक्त बनाने व उसकी संवहनीयता बनाये रखने हेतु निकाय स्तर पर प्रस्तावित गतिविधियाँ
- सहभागी निगरानी व स्वच्छता व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन हेतु प्रस्तावित गतिविधियाँ
- अनुश्रवण, निगरानी, रिपोर्टिंग प्रक्रिया
- प्रपत्र – संलग्नक

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) शासन की फ्लैगशिप योजना है, जिसका प्रमुख घटक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर खुले में शौच से शहरों को मुक्त करना है। परन्तु यह “खुले में शौच से मुक्त” का विषय अधोसंरचना की तुलना में व्यवहार परिवर्तन का विषय है। खुले में शौच करने वाले नागरिकों को शौचालय के उपयोग हेतु प्रेरित करना एक सुव्यवस्थित रणनीति है, जिसमे नगर के सभी संबद्ध पक्षों को जोड़ कर इस सामाजिक बुराई को दूर करने हेतु अभियान चलाना है।

सामान्यत: देखा गया है कि शहर खुले में शौच से मुक्त घोषित होने के पश्चात पुन: खुले में शौच की समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। अत: सतत् निगरानी एवं पर्यवेक्षण की प्रक्रिया स्थापित करने के उद्देश्य से विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किये गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के उद्देश्य:

- ✓ खुले में शौच की स्थिति की समाप्ति
- ✓ मैला ढ़ोने की प्रथा का उन्मूलन
- ✓ ठोस व अवशिष्ट के प्रबंधन के लिए आधुनिक व वैज्ञानिक उपाय
- ✓ स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ्ता के उचित व्यवहारों को व्यवहार में लाने के प्रयास
- ✓ स्वच्छ्ता व स्वास्थ्य के आपसी सहसंबंध पर जागरूकता
- ✓ नगरीय निकायों का क्षमता वर्धन
- ✓ निवेश व क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन

‘खुले में शौच’ (ओपन डेफिकेशन) की पृष्ठभूमि:

व्यक्ति जब शौच व दैनिक नित्य–क्रिया के लिए शौचालय का इस्तेमाल न करते हुए बाहर खुले मैदानों में, झाड़ियों में, जंगलों में, रेल की पटरियों के किनारे व प्राकृतिक जल स्त्रोतों के नजदीक जाता है, तब उसके इसी व्यवहार को “ओपन डेफिकेशन” कहा जाता है। “ओपन डेफिकेशन” अंग्रेजी से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है “खुले में शौच या मलत्याग करना”। भारत में यह समस्या हमेशा से इतनी विकराल रही है कि दुनिया भर में भारत को खुले में शौच करने वाली सबसे बड़ी आबादी का घर कहा जाता है। विश्व की कुल शहरी आबादी का सिर्फ 11 प्रतिशत ही भारतीय शहरों में रहता है, परन्तु विश्व स्तर पर खुले में शौच करने वाली कुल आबादी का 47 प्रतिशत इसी भारतीय शहरी जनसँख्या से आता है। खुले में शौच को जन स्वास्थ्य के लिए एक व्यापक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

खुले में शौच के दुष्प्रभाव:

भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में घरों में व सामुदायिक स्तर पर शौचालय के आभाव में परिवार की महिलाओं व पुरूषों को बाहर खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है जो विशेषकर वृद्ध व दिव्यांगों के लिए असुविधा का वृहद कारण है। खुले में शौच की समस्या महिलाओं के स्वास्थ्य और निजता पर विपरीत असर डालती है। यह स्थिति महिलाओं की निजता व स्वास्थ्य के लिए न सिर्फ विपरीत है बल्कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से भी एक गंभीर समस्या है।

खुले में शौच के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:

दुनिया में सर्वाधिक लोग दूषित जल से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में प्रतिवर्ष करीब 6 करोड़[1] बच्चों की मौत हो जाती है। जिसमे से हमारे देश में प्रति वर्ष करीब सवा लाख बच्चों (01 से 05 वर्ष)[2] की दस्त (डायरिया) के कारण मौत हो जाती है, और इसकी प्रमुख वजह प्रदूषित पेयजल और गंदगी ही है। अनुमान है कि विकासशील देशों में होने वाली 80 प्रतिशत बीमारियां और एक तिहाई मौतों के लिए प्रदूषित पेयजल का सेवन ही जिम्मेदार है। प्रत्येक व्यक्ति के रचनात्मक कार्यों में लगने वाले समय का लगभग दसवां हिस्सा जल–जनित रोगों की भेंट चढ़ जाता है। यही वजह है कि विकासशील देशों में इन बीमारियों के नियंत्रण और अपनी रचनात्मक शक्ति को बरकरार रखने के लिए साफ–सफाई, स्वास्थ्य और पीने के साफ पानी की आपूर्ति पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है। निश्चित तौर पर साफ पानी लोगों के स्वास्थ्य और रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। कहा भी गया है कि सुरक्षित पेयजल की सुनिश्चितता जल जनित रोगों के नियंत्रण और रोकथाम की कुंजी है।

भारत में खुले में शौच पेयजल के प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से नवजात बच्चों में कुपोषण तथा उनकी वृद्धि में अवरोध की समस्या होती है। दूषित जल व साफ–सफाई का अभाव विशेषकर पांच वर्ष तक कि उम्र के बच्चों में दस्त (डायरिया) जैसी जानलेवा बीमारियों कि न सिर्फ एक प्रमुख वजह है, अपितु बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के कुल मामलों में से 50 प्रतिशत मामलों में सीधे तौर पर जिम्मेदार है। भारत में डायरिया शिशु मृत्यु दर का तीसरा प्रमुख कारक है व प्रतिवर्ष लगभग 13 प्रतिशत[3] बच्चों की मृत्यु डायरिया सम्बंधित कारणों से हो जाती है।

विश्व भर में प्रति वर्ष 0 से 05 वर्ष की आयु में लगभग 2.5 बिलियन[4] डायरिया के मामले रिकॉर्ड किये जाते हैं, जो कि बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण, शारीरिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव (Stunting) व मृत्यु के प्रमुख घटक साबित होते है। हमारे देश में पांच वर्ष से कम उम्र के लगभग 48 प्रतिशत बच्चे[5] शारीरिक वृद्धि पर

विपरीत प्रभाव (Stunting) जैसी समस्याओं से प्रभावित हैं, और पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश में इस समस्या का प्रतिशत देश में सर्वाधिक (लगभग 50 प्रतिशत[6]) रहा है।

“खुले में शौच से मुक्त” (ओ.डी. एफ) की अवधारणा:

अत: उक्त स्वास्थ्य, कुपोषण आदि समस्याओं से बचाव व रोक–थाम के लिए आवश्यक है कि वातावरण को खुले में शौच से पूर्णतय: मुक्त बनाया जाए व प्रत्येक स्तर पर इसकी संवहनीयता सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाए। खुले में शौच से मुक्ति का अर्थ है कि सामुदायिक, पारिवारिक वातावरण में किसी भी प्रकार से मानव मल का प्रवेश न होने पाए। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक परिवार अथवा सामुदायिक स्तर पर शौचालय का निर्माण किया जाए व परिवार। समुदाय के हर सदस्य द्वारा सदैव इसका उपयोग किया जाए। साथ ही इस स्थिति को प्राप्त करने व इसे बनाये रखने कि दिशा में ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि परिवार/समुदाय में बच्चों के मल का निष्पादन भी सही प्रकार से किया जाए व उसके पश्चात विशेषकर घर की महिलाओं द्वारा भोजन पकाने, परोसने, बच्चों को स्तनपान आदि के पूर्व अपने हाथों को सही प्रकार से पानी व साबुन से धोया जाए।

[1] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/

[2] https://data.unicef.org/topic/child-health/diarrhoeal-disease/

[3] http://7pointplan.org/global-burden-childhood-diarrhoea.html

[4] http://unicef.in/Whatwedo/10/Stunting

[5] http://unicef.in/Whatwedo/10/Stunting

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4367049/

मल–मुख संक्रमण मार्ग (Faeco - Oral Contamination Route)

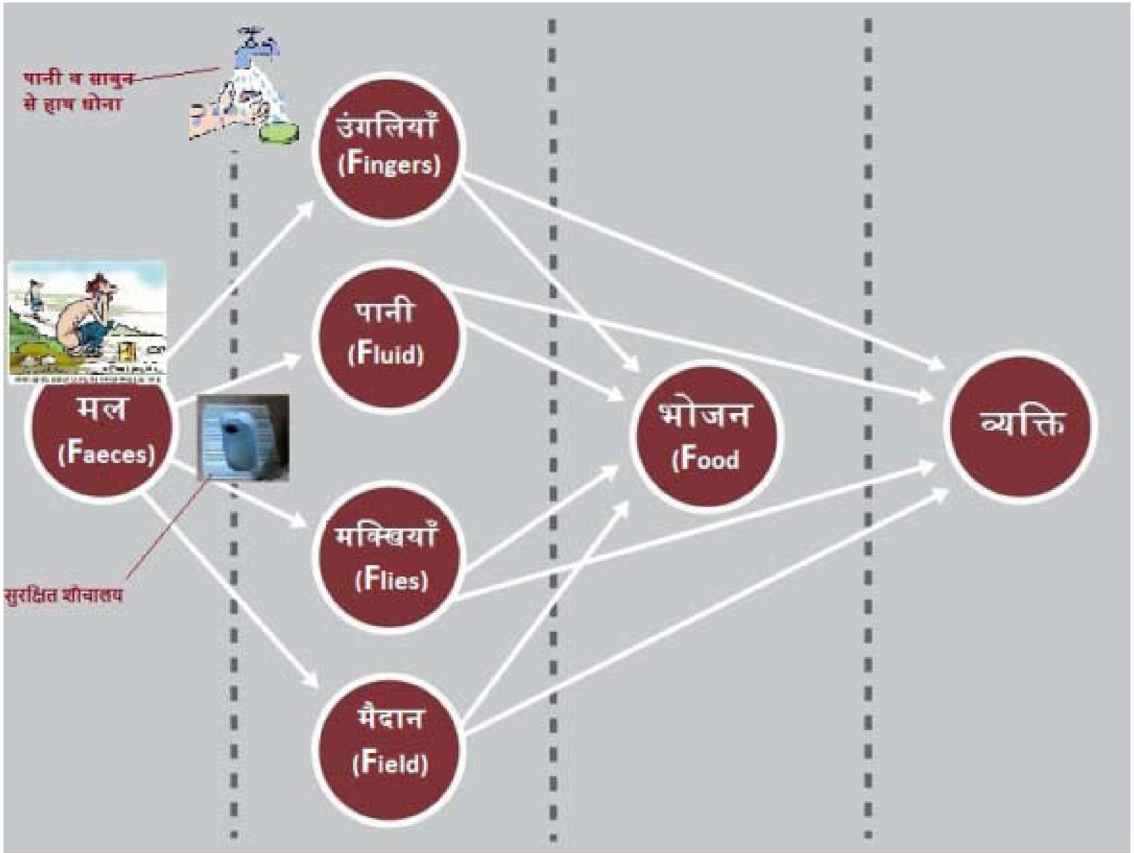

दिए गए चित्र के माध्यम से ये दर्शाने/ समझाने का प्रयास किया गया है कि खुले में पड़ा मानव मल (Faeces) किस प्रकार विभिन्न माध्यमों जैसे– मैदान (Field), पानी (Fluid), मक्खी (Flies), भोजन (Food) व उंगलियाँ (Fingers) के द्वारा वापस हमारे भोजन में मिल कर विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। इस प्रवाह चित्र को मल–मुख संक्रमण मार्ग कहा जाता है। अंग्रेजी के 'F' अक्षर के माध्यमों का प्रयोग होने से इसे 'एफ' चित्र (F Diagram) भी कहते हैं।

- उंगलियाँ (Fingers) – शौच के बाद साबुन व पानी से ठीक से हाथों का न धोना बीमारियों के प्रसार की पहली मुख्य वजह हैं। इन्ही गंदे हाथों से जब भोजन ग्रहण किया जाता है तब उँगलियों में छिपे मानव मल के कण हमारे शरीर में प्रवेश कर विभिन्न बीमारियों को जन्म देते हैं।

- पानी (Fluid) – बीमारियों के प्रसार का दूसरा माध्यम है पानी। खुले में पड़े मल में विभिन्न प्रकार के कीटाणु उत्पन्न हो जाते है, और यही मल बारिश के पानी आदि के माध्यम से बह कर निकट के पेय

जल स्त्रोतों तक पहुँच जाता है। बाद में यही पानी जब पीने के काम में लाया जाता है तब ये कई प्रकार की बीमारियों की वजह बनता है।

- मक्खियाँ (Flies) – बीमारियों के प्रसार का तीसरा मुख्य माध्यम है मक्खियाँ। मक्खियाँ खुले में पड़े मल पर बैठने के बाद जब खाने की वस्तुओं पर बैठती हैं तो मानव मल में छिपे कीटाणु लोगों के शरीर में प्रवेश कर अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। इसीलिए खुले में पड़े मल से बीमारियों के प्रसार का खातरा इन मक्खियों व अन्य कीटों के माध्यम से अधिक हो जाता है।

- मैदान (Field) – प्रसार का चौथा माध्यम है खुली जमीन / मैदान आदि स खेतों, मैदानों आदि में खुले में पड़ा मल हमारे जूते–चप्पलों, गाडी–बैलगाड़ी के पहियों, व पालतू जानवरों व मवेशियों के खुरों में लग कर हमारे घरेलु वातावरण में पुन: प्रवेश कर बीमारियों के संक्रमण की संभावनाओं को बढ़ा देता हैं।

अत: उक्त दिए गए चित्र व कारकों से ये साबित होता है कि बीमारियों के प्रसार की रोक–धाम हेतु वातावरण को खुले में शौच से पूर्णतय: मुक्त कर मानव मल के सही निष्पादन व साफ–सफाई सुनिश्चित करना आवश्यक है।

खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ) की अवधारणा से प्राय: सामान्यत: यही समझा जाता है कि वातावरण। खुले में कहीं भी मानव मल का दिखाई न देना, सभी प्रकार (निजी, सामुदायिक व सार्वजनिक) शौचालयों से निकलने वाले मल के उचित निपटान/निष्कासन हेतु बेहतर तकनीकी विकल्पों का उपलब्ध होना व निजी साफ–सफाई हेतु अपेक्षित व्यवहारों पर बल देना। यदि उपरोक्त कारकों पर विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि ये यह सभी मूलत: मानव व्यवहारों से जुड़े हुए हैं, अत: हमें खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ) की स्थिति को प्राप्त करने व उसकी संवहनीयता (Sustainability) के लिए जिम्मेवार मानवीय व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित सुरक्षित स्वच्छता व्यवहारों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

- ✓ व्यक्तिगत, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण व उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना।
- ✓ शिशु व बच्चों के मल के सुरक्षित निष्पादन हेतु प्रेरित करना।
- ✓ शौच के बाद व शिशु/ बच्चों का मल साफ करने के बाद साबुन व साफ पानी से ठीक प्रकार से हाथों को साफ करने हेतु प्रेरित करना।

मध्य प्रदेश में ओ.डी.एफ. की वर्तमान स्थिति:

भारत कि जनगणना–2011[7] के अनुसार मध्यप्रदेश में परिवारों की कुल सँख्या लगभग 1.5 करोड़ है, जो कि साल 2001 कि जनगणना के मुकाबले 73: अधिक है। वहीं मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रह रहे परिवारों की कुल संख्या लगभग 38 लाख बतायी गयी है। उक्त दिए गए आंकड़े के आधार पर यदि प्रदेश में सुरक्षित शौचालयों की स्थिति देखें, तो प्रदेश में कुल 26.5 प्रतिशत परिवारों के पास सुरक्षित शौचालय की सुविधा प्राप्त है, अपितु प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा काफी अधिक लगभग 71.5 प्रतिशत है। विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों में कहा गया है कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में 50,000 से कम आबादी वाले छोटे शहरों में स्थिति चिंताजनक है जहाँ 38 प्रतिशत लोग खुले में शौच करते हैं, वहीँ मध्यम शहरों में (50,000 से 2.99 लाख आबादी वाले) 19 प्रतिशत लोग खुले में शौच करते हैं। बड़े शहरों में (03 लाख से अधिक आबादी वाले) 8 प्रतिशत लोग खुले में शौच करते हैं।

[7] http://censusindia.gov.in/2011census/hlo/Data_sheet/India/Latrine.pdf

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के उद्देश्यों को समय सीमा के अन्दर प्राप्त करने हेतु म.प्र. द्वारा अब तक लिए किये गए प्रमुख प्रयास और गतिविधियाँ:

- संचालनालय स्तर और निकायों द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग
- सर्वे करके शौचालयों की मांग प्राप्त करना
- शौचालय के प्रयोग और साफ सफाई के लिए विशेष जागरूकता अभियान
- प्रदेश में रोको–टोको अभियान के माध्यम से प्रयास
- स्कूलों में जागरूकता अभियान
- खुले में शौच का वेरिफिकेशन
- मीड्यिा और जनप्रतिनिधियों का जुड़ाव
- विभिन्न प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से खुले में शौच को हतोत्साहित करना.

प्रदेश के शहरी विकास विभाग व नगरीय निकायों के प्रयासों से माह जुलाई 2017 के प्रथम सप्ताह तक लगभग 202 निकाय खुले में शौच मुक्त प्रमाणित किये जा चुके हैं। भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था QCI द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद नगरीय निकायों का पुन: परीक्षण छ: माह की अवधि के बाद प्रस्तावित है, व इसके लिए खुले में शौच मुक्त (ODF) की स्थिति की संवहनीयता सुनिश्चित करने हेतु नागरिकों में अपेक्षित साकारात्मक व्यवहारों की प्राप्ति के उद्देश्य से विभिन्न सूचना–शिक्षा व व्यवहार परिवर्तन एवं सम्प्रेषण गतिविधियों को संचालित करने की आवश्यकता है। हितग्राहियों का जुड़ाव व भागीदारी सहभागी आकलन एवं सतत् निगरानी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

खुले में शौच से मुक्ति के लिए सतत रणनीति की आवश्यकता क्यों:

मध्यप्रदेश के 196 शहर QCI द्वारा खुले में शौच मुक्त घोषित/ प्रमाणित किये जा चुके हैं। जिन शहरों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है उनका QCI द्वारा पुन: भ्रमण निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। शहर में खुले में शौच मुक्त स्थिति को निरंतर बनाये रखने के लिए रणनीतिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। प्रदेश में स्वच्छ्ता के लिए किये जा रहे प्रयासों की वजह से एक बड़ी आबादी ने स्वच्छ शौचालय का प्रयोग शुरू कर दिया है। अब प्रयास यह होना चाहिए कि खुले में शौच छोड़ चुके लोग व्यवहारिक कारणों, शौचालय इस्तेमाल में आए प्रतिकूल अनुभवों, शौचालयों में गंदगी, बदबू, अवधारणाओं, या किन्ही अन्य तकनीकी/ रख–रखाव के कारणों की वजह से वापस खुले में शौच करना दोबारा से ना शुरू कर दें।
इस हेतु निकायों को वर्तमान में उपलब्ध अधोसंरचना। सुविधाओं/सेवाओं की उचित निरीक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध कार्य योजना (समय सीमा के साथ) बना कर कार्य करना होगा, जिससे न

सिर्फ खुले में शौच मुक्त निकाय अपनी संवहनीयता बनाये रख पाए अपितु निकाय क्षेत्र में आई चलित जनसँख्या के पास शौचालय के प्रयोग के पर्याप्त विकल्प उपलब्ध हों।

खुले में शौच से मुक्त बनाने व उसकी संवहनीयता बनाये रखने हेतु निकाय स्तर पर प्रस्तावित गतिविधियाँ :

सभी नगरीय निकायों की अपनी अलग भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थापना की वजह से निकाय विशेष रणनीति आवश्यक हो जाती है। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर जागरूकता लाने व खुले में शौच मुक्त शहर कि संवहनीयता के लिए निकाय व सामुदायिक दोनों स्तरों पर सतत् निगरानी व सतत् संवाद की आवश्यकता है। जिन नगरीय निकायों ने खुले में शौच से मुक्त होने का प्रमाण हासिल कर लिया है उनके लिए ये अत्याधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे विभिन्न स्तरों पर सतत् निगरानी व संवाद स्थापित करने हेतु सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें। इस हेतु वार्ड स्तर पर नागरिकों, सामाजिक व धार्मिक संगठ्नो को स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत संचालित हो रही गतिविधियों के बारे में संवेदित कर सक्रिय भागीदारी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति व खुले में शौच से मुक्त निकाय की संवहनीयता बनाई रखी जा सकती है। अत: खुले में शौच से मुक्त निकाय व उसकी संवहनीयता की स्थिति और मिशन अंतर्गत दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निकाय स्तर पर प्रस्तावित सहभागी निगरानी व स्वच्छता व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य के साथ गतिविधियों के संचालन हेतु निम्न चरणों में तैयारी सुनिश्चित करनी होगी।

निरीक्षण दल का गठन

- निकाय द्वारा स्व व जन–जागरूकता गतिविधियों हेतु चयनित सहयोगी संस्था के सहयोग से निकाय स्तर पर चयनित वार्ड व मोहल्लों में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्मित/संचालित ढ्ांचागत सेवाओं व आई.ई.सी. गतिविधियों की सहभागी निगरानी/अनुश्रवण हेतु प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु निरीक्षण दलों का गठन किया जाना है।
- उक्त दल में गतिविधियों के अनुरूप विभिन्न सामजिक क्षेत्रों से लोगों को चुना जा सकता है। जैसे कि क्षेत्रों के जन प्रतिनिधि, वार्ड कार्यालय के कर्मचारी/सफाई कर्मी, नागरिक सदस्य, धार्मिक प्रतिनिधि, स्कूली शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वास्थ्य व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि शामिल किए जाएं।

निरीक्षण दल के सदस्यों का प्रशिक्षण

- सामुदायिक स्तर पर प्रस्ताविक सहभागी निगरानी/निरीक्षण गतिविधियों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर विभिन्न प्रपत्रों की रचना की गयी है।
- अत: निकाय अंतर्गत चयनित वार्ड व मोहल्लों में निरीक्षण/निगरानी दलों के गठन पश्चात इस हेतु प्रयोग किये जाने वाले प्रपत्रों के उपयोग व निरीक्षण दौरान/पश्चात की जाने वाली चर्चा के मुद्दों/बिन्दुओं के बारे में दल के प्रत्येक सदस्य के प्रशिक्षण/ उन्मुखीकरण किया जाए।

खुले में शौच हेतु चिन्हित व संभावित स्थलों का चयन व निर्धारित समय अंतराल पर निरीक्षण हेतु कार्य योजना का निर्माण

- प्रभावी सामुदायिक/सहभागी अनुश्रवण व निगरानी हेतु यह आवश्यक है कि निकाय स्तर पर वार्ड कार्यालयों, मोहल्ला समितियों व स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से पूर्व में चिन्हित व नए खुले में शौच के स्थानों, व्यक्तिगत शौचालयों, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों, स्कूल व आँगनवाड़ियों का चिन्हांकन किया जाए।
- साथ ही प्रत्येक वार्ड / मोहल्ला वार निरीक्षण भ्रमण हेतु विस्तृत कार्ययोजना का निर्माण किया जाए।

निरीक्षण परिणामों के आधार पर आवश्यक तकनीकी / प्रशासनिक सुधार

- सामुदायिक स्तर पर अनुश्रवण व स्वच्छता व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से संचालित की जाने वाली सहभागी निगरानी गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य निकाय द्वारा हासिल की गयी खुले में शौच से मुक्त निकाय की स्थिति की संवहनीयता को सुनिश्चित करना है।
- इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उक्त गतिविधि से हासिल किये गए अवलोकन बिन्दुओं व परिणामों को उचित स्तर पर साझा किया जाये, ताकि निकाय द्वारा ODF की संवहनीयता को सुरक्षित करने के लिए जरूरी प्रशासनिक सुधारात्मक प्रयासों के साथ–साथ वर्तमान प्रचार–प्रसार व जन–जागरूकता कार्ययोजनाओं में भी आवश्यक बदलाव लाये जा सकें।

सहभागी निगरानी व स्वच्छता व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन हेतु प्रस्तावित गतिविधियाँ :

1	गृह भेंट/व्यक्तिगत शौचालयों का निरीक्षण	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न	(अनुलग्नक क्रं: 1)
2	खुले में शौच हेतु चिन्हित स्थान का भ्रमण/ निरीक्षण	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न	(अनुलग्नक क्रं: 2)
3	सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय का भ्रमण/ निरीक्षण	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न	(अनुलग्नक क्रं: 3)
4	स्कूल व आंगनवाडी भ्रमण/ निरीक्षण	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न	(अनुलग्नक क्रं: 4)
5	निर्माणाधीन साईट का भ्रमण/ निरीक्षण	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न	(अनुलग्नक क्रं: 5)

अनुश्रवण / निगरानी / रिपोर्टिंग प्रक्रिया व प्रपत्र:

खुले में शौच मुक्त स्थिति एवं नागरिकों के स्वच्छता व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन को स्थाई बनाने हेतु अनुश्रवण / निगरानी व सामुदायिक स्तर पर सतत संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। निकाय स्थानीय आवश्कयताओं को समझते हुए गतिविधि की आवृति और समयसीमा में परिवर्तन कर सकते है ।

1. गतिविधि –	गृह भेंट/ व्यक्गित शौचालयों का निरीक्षण
उद्देश्य:	आम नागरिकों को नवनिर्मित शौचालयों के उपयोग, रखा–रखाव एवं सफाई रखने व सुरक्षित स्वच्छता व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करना।
कौन करेगा:	निरीक्षण दल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, स्वच्छताग्रही, चयनित स्वयं सेवी संस्था के सदस्य, निकाय के अधिकारी
कब करेगा:	प्रत्येक वार्ड में प्रति सप्ताह पांच (05) व्यक्तिगत शौचालयों का निरीक्षण।
लक्षित समूह:	मोहल्लों में रह रहे परिवार, झुग्गी बस्तियों के निवासी।
क्रियान्वयन प्रक्रिया:	▪ निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य निरीक्षण हेतु वार्ड में किसी एक मोहल्ले व झुग्गी बस्ती का चयन करें। ▪ निरीक्षण दल द्वारा प्रतिसप्ताह प्रत्येक वार्ड के कम से कम 05 घरों में व्यक्तिगत भेंट, व शौचालय का निरीक्षण किया जाए। इस प्रकार 1 माह में कम से कम 100 घरों के व्यक्तिगत शौचालयों का भ्रमण निरीक्षण किया जाए। ▪ अवलोकन कर दल का कोई एक सदस्य संलग्न प्रपत्र के लिंक पर क्लिक कर अपने मोबाइल फोन अथवा कंप्यूटर के माध्यम से सीधे जानकारी भरें। ▪ निरीक्षण दल आवश्यकता आकलन कर निकाय से जानकारी साझा करें एवं शौचालय के रखारखाव सरंक्षण हेतु अपेक्षित सहयोग की व्यवस्था करें । ▪ निरीक्षण दल के सदस्य गृह भेंट के दौरान शौचालय के नियमित उपयोग व बच्चों के मल के सुरक्षित निपटान पर भी चर्चा करें।
अनुलग्नक क्रं – 2:	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न: ☞ व्यक्तिगत शौचालय निरीक्षण हेतु (कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें।)

2. गतिविधि –	खुले में शौच हेतु चिन्हित स्थान का भ्रमण / निरीक्षण
उद्देश्य:	सामुदायिक सहभागिता एवं निगरानी सुनिश्चित करते हुए निकाय को खुले में शौच मुक्त बनाना।
कौन करेगा:	निरीक्षण दल के सदस्य (जन प्रतिनिधि, स्वच्छताग्रही, निकाय के अधिकारी एवं चयनित स्वंयसेवी संस्था के सदस्य)
कब करेगा:	प्रत्येक वार्ड के OD स्पॉट्स का हर महीने कम से कम दो बार निरीक्षण।
लक्षित समूह:	आम नागरिक / रहवासी समितियां
क्रियान्वयन प्रक्रिया:	▪ खुले में शौच हेतु चिन्हित स्थानों की सूची निकाय से लेकर भ्रमण हेतु स्थान का चयन करें। ▪ नगर के सभी चिन्हित खुले में शौच के स्थान का कम से कम माह में दो बार निरीक्षण/भ्रमण अवश्य होना चाहिए। ▪ निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा भ्रमण,निरीक्षण के बाद मोहल्ले, समुदाय, बस्ती, वार्ड के अलग–अलग स्थानों पर सामूहिक चर्चा का आयोजन किया जाए। ▪ इन समूह चर्चाओं के माध्यम से रहवासियों को खुले में शौच के नुकसान के साथ–साथ नगर को स्वच्छ रखने के विषयों पर रहवासियों से चर्चा की जाए। ▪ अवलोकन कर दल का कोई एक सदस्य संलग्न प्रपत्र के लिंक पर क्लिक कर अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सीधे जानकारी भरें।
अनुलग्नक क्रं – 1:	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न: ☞ समुदाय स्तर पर OD स्पॉट्स के निरीक्षण हेतु प्रपत्र (कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें।)

3. गतिविधि –	सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय का भ्रमण निरीक्षण
उद्देश्य:	निकाय अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयों में सतत अवलोकन, निरीक्षण एवं निगरानी के माध्यम से शौचालयों के उपयोग, रखा–रखाव एवं सफाई हेतु सम्बंधित निकाय को अवगत कराना और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरित करना।
कौन करेगा:	निरीक्षण दल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, निकाय के अधिकारी, स्वच्छताग्रही, चयनित संस्था के सदस्य, आदि।
कब करेगा:	प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक वार्ड का कम से कम 01 सार्वजनिक तथा 01 सामुदायिक शौचालय।
लक्षित समूह:	सामान्यजन, नागरिक, रहवासी समितियों के युवा
क्रियान्वयन प्रक्रिया:	• निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य सार्वजनिक व सामुदायिक शौचलयों की सूची निकाय से लेकर निरीक्षण हेतु सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय का चयन करें। • निरीक्षण दल के सदस्य प्रत्येक सप्ताह वार्ड के 01 सार्वजनिक तथा 01 सामुदायिक शौचालय का भ्रमण निरीक्षण अवश्य करें। • अवलोकन कर दल के सदस्य संलग्न प्रपत्र के लिंक पर क्लिक कर अपने मोबाइल फोन अथवा कंप्यूटर के माध्यम से सीधे जानकारी भरें। • अवलोकन व जानकारी के आधार पर उपयुक्त जन–जागरूकता गतिविधियों का निर्माण करे व मुद्दों पर चर्चा हेतु सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करें । • निरीक्षण दल के सदस्य सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों का निर्माण व प्रबंधन देख रही संस्थाओं के साथ अपने अनुभव व सुझाव साझा करें ।
अनुलग्नक क्रं –4:	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न: ☞ सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय के निरीक्षण हेतु (कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें।)

4. गतिविधि –	स्कूल व आंगनवाड़ी भ्रमण निरीक्षण
उद्देश्य:	निकाय अंतर्गत विद्यालयों एवं आंगनवाडीयों के शौचालयों में सतत अवलोकन, निरीक्षण एवं निगरानी के माध्यम से शौचालयों के उपयोग, रख–रखाव एवं सफाई रखने तथा सुरक्षित स्वच्छता व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करना।
कौन करेगा:	निरीक्षण दल के सदस्य, प्राचार्य, शिक्षक, आंगनवाडी सुपरवाइजर, आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका, जनप्रतिनिधि, स्वच्छताग्रही, निकाय के अधिकारी, आदि।
कब करेगा:	प्रत्येक सप्ताह वार्ड के कम से कम 01 शासकीय विद्यालय, 01 निजी विद्यालय व 01 आंगनवाडी।
लक्षित समूह:	स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक, आंगनवाडी सुपरवाइजर, आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका स्कूली छात्र, छात्रायें, स्कूल का अन्य स्टाफ व आंगनवाडी पर आने वाले बच्चे।
क्रियान्वयन प्रक्रिया:	▪ निरीक्षण दल के सदस्य वार्ड के शासकीय व निजी विद्यालयों अत: निकाय क्षेत्र कि आंगनवाडी केन्द्रों की सूची निकाय से लेकर निरीक्षण हेतु विद्यालयों व आंगनवाडीय केन्द्रों का चयन करें। ▪ निरीक्षण दल के सदस्य प्रत्येक सप्ताह वार्ड के कम से कम 01 शासकीय विश्वविद्यालय, 01 निजी विद्यालय व 01 आंगनवाड़ी का निरीक्षण करें। ▪ अवलोकन कर दल के सदस्य संलग्न प्रपत्र के लिंक पर क्लिक कर अपने मोबाइल फोन अथवा कंप्यूटर के माध्यम से सीधे जानकारी भरें। ▪ अवलोकन व जानकारी के आधार पर स्कूल से संबधित शिक्षक/अधिकारी अथवा आंगनवाडी पर सुपरवाइजर/कार्यकर्ता से चर्चा करें एवं आवश्कयतानुसार सलाह/ सुझाव देकर व्यवस्थाएं सुदृढ़ करें। ▪ निरीक्षण दल के सदस्य स्कूल व आंगनवाडी के बच्चो के साथ चर्चा करें इस चर्चा में शौचालय के उपयोग रख रखाव एवं प्रबंधन में बच्चों की सहभागिता बढ़ाए व बच्चों को सुरक्षित व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करे।
अनुलग्नक क्रं –3:	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न: ☞ स्कूल व आंगनवाडी में शौचालय के निरीक्षण हेतु (कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें।)

5. गतिविधि –	निर्माणाधीन साईट का भ्रमण निरीक्षण
उद्देश्य:	निकाय अंतर्गत निर्माणाधीन साईट में मजदूरों व गतिशील जनसँख्या के लिए रखवाए गए शौचालयों में सतत अवलोकन, निरीक्षण एवं निगरानी के माध्यम से शौचालयों के उपयोग, रख–रखाव एवं साफ–सफाई हेतु सम्बंधित कांट्रेक्टर/ बिल्डर / निकाय को सूचित कर अवगत कराना और कार्यवाही हेतु प्रेरित करना।
कौन करेगा:	निरीक्षण दल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, निकाय के अधिकारी, स्वच्छाग्रही चयनित संस्था के सदस्य, आदि
कब करेगा:	प्रत्येक सप्ताह प्रतेक वार्ड कि 01 निर्माणाधीन साईट
लक्षित समूह:	कार्यरत मजदूर व गतिशील जनसंख्या
क्रियान्वयन प्रक्रिया:	▪ निरीक्षण दल के सदस्य अपने वार्ड में समस्त निर्माणधीन स्थलों को चिन्हित कर सूची तैयार करें। ▪ प्रतेक सप्ताह कम से कम 01 निर्माणाधीन स्थलों का भ्रमण निरीक्षण करें। ▪ इन निर्माणाधीन स्थलो में श्रमिकों के लिए पर्याप्त और स्वच्छ शौचालयों एवं पीने के पानी की व्यवस्था का अवलोकन करें। ▪ निरीक्षण दल के सदस्य निर्माणधीन स्थल के जिम्मेदार अधिकारी से चर्चा करें एवं अवलोकन के आधार पर सुझाव पर सुझाव सलाह दें। ▪ निरीक्षण दल अवलोकन के आधार पर प्राप्त जानकारी को निकाय के संबधित अधिकारी को जमा करे। ▪ अवलोकन कर दल के सदस्य संलग्न प्रपत्र के लिंक पर क्लिक कर अपने मोबाइल फोन अथवा कंप्यूटर के माध्यम से सीधे जानकारी भरें। ▪ अवलोकन व जानकारी के आधार पर उपयुक्त जन–जागरूकता गतिविधियों का निर्माण करे व मुद्दों पर चर्चा हेतु सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करें।
अनुलग्नक क्रं –6:	निरीक्षण प्रपत्र संलग्न: ☞ निर्माणाधीन स्थल में शौचालयों का निरीक्षण प्रपत्र (कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें)

नोट: निम्न दी गयी गतिविधियों हेतु प्रपत्र प्रारूप व ऑनलाइन प्रपत्र भरे जाने हेतु लिंक इस दस्तावेज में प्रत्येक गतिविधि के साथ संलग्न है।

व्यक्तिगत शौचालय हेतु निरीक्षण प्रपत्र

☞ व्यक्तिगत शौचालय निरीक्षण हेतु

(कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें।)

- निरीक्षणकर्ता / दल प्रत्येक वार्ड में प्रति सप्ताह पांच (05) व्यक्तिगत शौचालयों का निरीक्षण।
- व्यक्तिगत चर्चा में परिवार के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।
- निरीक्षण प्रपत्र भरने के उपरान्त आवश्यक सलाह सुझाव एवं चर्चा करें।

तारीख		नगरीय निकाय का नाम			
जिला		मोहल्ला / क्षेत्र		वार्ड क्रं	
दल के मुख्य सदस्य का नाम			मुख्य सदस्य का मोबाइल नंबर		
दल के मुख्य सदस्य का पद			निरीक्षण / भ्रमण क्रं		

दल में शामिल सदस्यों की कुल संख्या ☐

निकाय सदस्य	☐	सफाई दरोगा/ कर्मचारी	☐	जन प्रतिनिधि	☐
नागरिक सदस्य	☐	धार्मिक प्रतिनिधि	☐	स्कूल शिक्षक	☐
सामाजिक कार्यकर्ता	☐	स्वास्थ्य कर्मी	☐	आंगनवाडी कार्यकर्ता	☐

प्रश्न विवरण		प्रथम परिवार आवास		तृतीय परिवार आवास		तृतीय परिवार आवास		चौथा परिवार आवास		सँचवा परिवार आवास	
		हाँ	नही	हाँ	नही	हाँ	नही	हाँ	नही	हाँ	नही
क्या घर में शौचालय है ?											
क्या परिवार साझा/सामुदायिक शौचालय का उपयोग करता है?											
उपयोग किये जा रहा शौचालय का प्रकार क्या है ?	सेप्टिक टैंक वाला										
	दो गड्ढों वाला										
क्या घर के सभी सदस्य (03 वर्ष से ऊपर के) इसका उपयोग करते है ?											
क्या घर के सभी सदस्य आवश्यकता पड़ने पर हर बार इसका उपयोग करते है ?											
क्या शौचालय स्वच्छ व बदबू रहित है?											

क्या शौचालय में दरवाजे को अन्दर से बंद करने की व्यवस्था है (कुण्डी लगी है)?											
क्या शौचालय में खिड़की/रोशनदान है ?											
क्या शौचालय में या इसके आस–पास हाथ ढ़ोने की व्यवस्था है?											
क्या शौचालय के आस–पास खुले में मल दिखा है?											
क्या घर व गली में आस–पास खुले में मल दिखा है?											
घर में छोटे बच्चों के मल का निष्पादन कैसे किया जाता है?	खुले में फेंक देते हैं										
	नाली में बहा देते हैं										
	डस्टबिन में डाल देते हैं										
	शौचालय में डाल कर पानी से बहा देते हैं										
कोई अन्य सुझाव व चर्चा किए गए बिन्दु:											

अवलोकन/निरीक्षण के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सुझाव/सलाह,

1 ....

2 ....

3 ....

अगले निरीक्षण की तारीख ....

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता

समुदाय/ वार्ड स्तर पर खुले में शौच वाले स्थानों के निरीक्षण हेतु प्रपत्र

☞ समुदाय स्तर पर OD स्पॉट्स के निरीक्षण हेतु प्रपत्र

(कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें)

- प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक वार्ड का कम से कम 01 सार्वजनिक तथा 01 सामुदायिक शौचालय।
- प्रत्येक निरीक्षण, भ्रमण के बाद समूह बैठक एवं चर्चा का आयोजन करे।
- समूह बैठक एवं चर्चा में संबधित मुद्दों और समस्याओं पर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करें तथा अगले भ्रमण निरीक्षण के लिये कार्य योजना बनाये।

तारीख		नगरीय निकाय का नाम			
जिला		मोहल्ला / क्षेत्र		वार्ड क्रं	
दल के मुख्य सदस्य का नाम		मुख्य सदस्य का मोबाइल नंबर			
दल के मुख्य सदस्य का पद		निरीक्षण / भ्रमण क्रं			

दल में शामिल सदस्यों की कुल संख्या ☐

निकाय सदस्य	☐	सफाई दरोगा/ कर्मचारी	☐	जन प्रतिनिधि	☐
नागरिक सदस्य	☐	धार्मिक प्रतिनिधि	☐	स्कूल शिक्षक	☐
सामाजिक कार्यकर्ता	☐	स्वास्थ्य कर्मी	☐	आंगनवाडी कार्यकर्ता	☐

वार्ड में चिन्हित खुले में शौच वाले स्थान (OD Spot) की कुल संख्या

निरीक्षण किये जा रहे "खुले में शौच वाले स्थान" (OD Spot) का नाम

निरीक्षण के बिंदु	हाँ	नहीं
क्या सड़कों पर, घरों के आस–पास कहीं खुले में पड़ा मल दिखाई दिया?		
क्या वार्ड या समुदाय में निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में कोई नया 'खुले मे शौच वाला स्थान' OD स्पॉट दिखाई दिया या चिन्हित हुआ?		
यदि 'हाँ' तो, स्थान का नाम :		
क्या चिन्हित 'खुले में शौच वाले स्थानों' OD स्पॉट्स पर खुले में शौच करते व्यक्ति अथवा मल दिखाई दिए?		

खुले में शौच कर रहे व्यक्ति/ व्यक्तियों से क्या आप चर्चा कर पाए?		
खुले में शौच कर रहे व्यक्ति/व्यक्तियों किस क्षेत्र/ मोहल्ले से थे?		

खुले में शौच कर रहे व्यक्ति/ व्यक्तियों के रू

अवलोकन/निरीक्षण के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सुझाव/सलाह,

1...

2...

3...

अगले निरीक्षण की तारीख ....

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता

संस्थागत निरीक्षण (सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय)

सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय के निरीक्षण हेतु

(कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें)

- निरीक्षणकर्ता /दल प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक वार्ड का कम से कम 01 सार्वजनिक तथा 01 सामुदायिक शौचालय।
- प्रत्येक निरीक्षण भ्रमण के बाद समूह बैठक एवं चर्चा का आयोजन करें।
- समूह बैठक एवं चर्चा में संबधित मुद्दों और समस्याओं पर समुदाय भी भागीदारी सुनिश्चित अगले भ्रमण निरीक्षण के लिये कार्य योजना बनायें।
- मुदाय में निर्मित स्वच्छता अधोसंरचनाओं सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का संरक्षण एवं स्वामित्व की भावना का विकास हेतु प्रेरित करें।

तारीख		नगरीय निकाय का नाम			
जिला		मोहल्ला / क्षेत्र		वार्ड क्रं	
दल के मुख्य सदस्य का नाम			मुख्य सदस्य का मोबाइल नंबर		
दल के मुख्य सदस्य का पद			निरीक्षण / भ्रमण क्रं		

दल में शामिल सदस्यों की कुल संख्या ☐

निकाय सदस्य	☐	सफाई दरोगा/ कर्मचारी	☐	जन प्रतिनिधि	☐
नागरिक सदस्य	☐	धार्मिक प्रतिनिधि	☐	स्कूल शिक्षक	☐
सामजिक कार्यकर्ता	☐	स्वास्थ्य कर्मी	☐	आंगनवाडी कार्यकर्ता	☐

निरीक्षण के बिंदु	सामुदायिक शौचालय		सार्वजनिक शौचालय	
	हाँ	नही	हाँ	नही
क्या सामुदायिक /सार्वजनिक शौचालय नियमित खुला रहता है ?				
क्या शौचालय में पानी की उपयुक्त व्यवस्था है?				
क्या महिला एवं पुरुष प्रसाधन अलग–अलग हैं?				

क्या सार्वजनिक/ सामुदायिक शौचालय में सभी टॅायलेट सीट्स उपयोग करने की स्थिति में है?					
क्या सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय में विद्युत की व्यवस्था है?					
क्या सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय के अन्दर किसी शौचालय ईकाई में ताला लगा हुआ है?					
क्या सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालय के अन्दर सभी टॅायलेट सीट्स स्वच्छ व बदबू रहित है?					
क्या सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालय के प्रत्येक टॅायलेट ईकाई में दरवाजे को अन्दर से बंद करने की व्यवस्था है (कुण्डी लगी है)?					
क्या शौचालय में खिड़की/रोशनदान है?					
क्या शौचालय में या इसके आस–पास हाथ धोने की व्यवस्था है?					
क्या शौचालय के आस–पास खुले में मल दिखा है?					
यदि डस्टबिन रखा है?	महिला प्रसाधन क्षेत्र में				
	पुरूष प्रसाधन क्षेत्र में				
	कॉमन एरिया में				
क्या शौचालय के आस–पास पानी का जमाव है?					
क्या शौचालय में हाथ धोने के साबुन की व्यवस्था थी?					
क्या शौचालय के सफाई कर्मी से चर्चा हो पायी?					
क्या शौचालय में विद्युत की व्यवस्था है?					
क्या शौचालय के सफाई कर्मी के पास सफाई सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था थी?					
क्या शौचालय Child Friendly है?					
क्या शौचालय Disabled Friendly है?					
क्या शौचालय में असली तरक्की के पोस्टर्स लगे हुए है?					

अन्य सुझाव व निरीक्षण के दौरान समुदाय में की गयी चर्चा के मुख्य बिंदु:

अवलोकन/निरीक्षण के आधार स्र आवश्यक कार्यवाही हेतु सुझाव/सलाह,

1 ....

2 ....

3 ....

अगले निरीक्षण की तारीख ....

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता

स्कूल/आंगनबाडी निरीक्षण

स्कूल व आंगनवाडी में शौचालय के निरीक्षण हेतु

(कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें)

- प्रत्येक सप्ताह वार्ड के कम से कम 01 शासकीय विद्यालय, 01 निजी विद्यालय व 01 आंगनवाडी।
- प्रत्येक निरीक्षण भ्रमण के बाद समूह बैठक एवं चर्चा का आयोजन करें जिसमें शौचालय के रखरखाव प्रबंधन एवं नियमित उपयोग पर चर्चा करें।
- निरीक्षण प्रपत्र भरने के उपरांत आवश्यक सलाह, सुझाव देकर संबधित मुद्दो और समस्याओं की भागीदारी सुनिश्चित करें तथा अगले भ्रमण निरीक्षण के लिये कार्य योजना बनायें।

तारीख		नगरीय निकाय का नाम			
जिला		मोहल्ला / क्षेत्र		जिला	
दल के मुख्य सदस्य का नाम				मुख्य सदस्य का मोबाइल नंबर	
दल के मुख्य सदस्य का पद				निरीक्षण / भ्रमण क्रं	
दल में शामिल सदस्यों की कुल संख्या					
निकाय सदस्य		सफाई दरोगा/ कर्मचारी		जन प्रतिनिधि	
नागरिक सदस्य		धार्मिक प्रतिनिधि		स्कूल शिक्षक	
सामाजिक कार्यकर्ता		स्वास्थ्य कर्मी		आंगनवाडी कार्यकर्ता	

निरीक्षण के बिंदु	स्कूल		आंगनवाडी	
	हाँ	नही	हाँ	नही
क्या स्कूलध आंगनवाडी में शौचालय की व्यवस्था है ?				
क्या निरीक्षण किये गए स्कूल एवं आंगनवाडी में एक से अधिक शौचालय हैं ?				
क्या लड़कियों अथवा लड़कों के लिए अलग–अलग शौचालय हैं?				
क्या शौचालय नियमित खुला रहता है ?				

क्या सभी शौचालय उपयोग किये जा रहे हैं ?				
क्या शौचालय में पानी की उपयुक्त व्यवस्था है?				
क्या सभी बच्चे शौचालयों का नियमित इस्तेमाल करते हैं ?				
क्या शौचालय उपयोग करने की स्तिथि में है?				
क्या शौचालय में ताला लगा हुआ है?				
क्या शौचालय स्वच्छ व बदबू रहित है ?				
क्या शौचालय में दरवाजे को अन्दर से बंद करने की व्यवस्था है (कुण्डी लगी है) ?				
क्या शौचालय में खिड़की/रोशनदान है?				
क्या स्कूल /आंगनवाडी के शौचालय में Child Friendly टॅायलेट सीट्स लगी हुई है ?				
क्या शौचालय में या इसके आस-पास हाथ धोने की व्यवस्था है?				
क्या शौचालय के आस-पास खुले में मल दिखा है?				
क्या शौचालय के आस-पास पानी का जमाव है?				
क्या शौचालय में डस्टबिन रखा है?				
अन्य सुझाव व निरीक्षण के दौरान समुदाय में की गयी चर्चा के मुख्य बिंदु:				

अवलोकन/निरीक्षण के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सुझाव/सलाह,

1...

2...

3...

अगले निरीक्षण की तारीख ....

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता

निर्माणाधीन स्थल में शौचालयों का निरीक्षण प्रपत्र

[निर्माणाधीन स्थल में शौचालयों का निरीक्षण प्रपत्र]

(कृपया दिए गए लिंक पर Click कर जानकारी प्रदान करें)

- प्रत्येक सप्ताह वार्ड के कम से कम 01 निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण भ्रमण।
- प्रत्येक निरीक्षण भ्रमण के बाद समूह बैठक एवं चर्चा का आयोजन करें जिसमें शौचालय/चलित शौचालय के रखरखाव प्रबंधन एवं नियमित उपयोग पर चर्चा करें।
- निरीक्षण प्रपत्र भरने के उपरांत आवश्यक सलाह, सुझाव देकर संबधित मुद्दो और समस्याओं की भागीदारी सुनिश्चित करें तथा अगले भ्रमण निरीक्षण के लिये कार्य योजना बनाये।

तारीख		नगरीय निकाय का नाम			
जिला		मोहल्ला / क्षेत्र		जिला	
दल के मुख्य सदस्य का नाम			मुख्य सदस्य का मोबाइल नंबर		
दल के मुख्य सदस्य का पद			निरीक्षण / भ्रमण क्रं		

दल में शामिल सदस्यों की कुल संख्या ☐

निकाय सदस्य	☐	सफाई दरोगा/ कर्मचारी	☐	जन प्रतिनिधि	☐
नागरिक सदस्य	☐	धार्मिक प्रतिनिधि	☐	स्कूल शिक्षक	☐
सामाजिक कार्यकर्ता	☐	स्वास्थ्य कर्मी	☐	आंगनवाडी कार्यकर्ता	☐

निरीक्षण के बिंदु	हाँ	नही
क्या निर्माणाधीन स्थल पर गतिशील जनसँख्या, मजदूरों के लिए शौचालय की व्यवस्था है ?		
क्या निरीक्षण किये गए निर्माणाधीन स्थल में एक से अधिक शौचालय हैं ?		
क्या महिलाओं एवं पुरूषों के लिए अलग–अलग शौचालय हैं ?		
क्या शौचालय नियमित खुला रहता है ?		
क्या सभी शौचालय उपयोग किये जा रहे हैं ?		

क्या शौचालय में पानी की उपयुक्त व्यवस्था है ?		
क्या निर्माणाधीन स्थल पर मजदूर व अन्य गतिशील जनसँख्या के बच्चों के लिए शौचालयों कि व्यवस्था है ?		
क्या सभी शौचालय उपयोग करने की स्थिति में है ?		
क्या शौचालय में ताला लगा हुआ है ?		
क्या शौचालय स्वच्छ व बदबू रहित है ?		
क्या शौचालय में दरवाजे को अन्दर से बंद करने की व्यवस्था है (कुण्डी लगी है)?		
क्या शौचालय में खिड़की/रोशनदान है ?		
क्या शौचालय में या इसके आस–पास हाथ धोने की व्यवस्था है ?		
क्या शौचालय के आस–पास खुले में मल दिखा है ?		
क्या शौचालय के आस–पास पानी का जमाव है ?		
क्या शौचालय में डस्टबिन रखा है ?		
अन्य सुझाव व निरीक्षण के दौरान समुदाय में की गयी चर्चा के मुख्य बिंदु:		

अवलोकन/निरीक्षण के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सुझाव/सलाह,

1 ....

2 ....

3 ....

अगले निरीक्षण की तारीख ....

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर